पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

मार्च 2025

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

राजभाषा विभाग

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2025

बैंक के प्रधान कार्यालय और कॉरपोरेट कार्यालय में अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ "नारी शक्ति से विकसित भारत" विषय पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2025 का आयोजन किया गया। महिला कार्यपालकों ने अपने संबोधन में कार्यस्थल पर शिष्टता और गरिमा के साथ समस्त चुनौतियों का सामना करने तथा दृढ़तापूर्वक बाधाओं से लड़ने के लिए महिलाओं की सराहना की। कार्यक्रम में महिला कार्मिकों द्वारा गीत और प्रश्नोत्तरी सहित विविध गतिविधियां आयोजित की गई।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

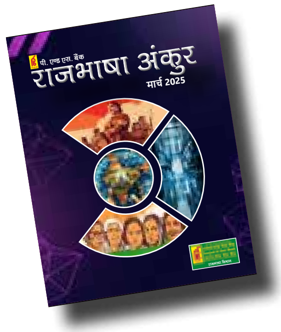

मार्च, 2025

मुख्य संरक्षक

श्री स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक

श्री रवि मेहरा
कार्यपालक निदेशक

श्री राजीवा
कार्यपालक निदेशक

मुख्य संपादक

श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक व प्रकाशक

श्री निखिल शर्मा
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
श्रीमती भारती, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री बिभाष कुमार, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री रूप कुमार, राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : ho.rajbhasha@psb.co.in
पंजीकरण संख्या : एफ.2 (25) प्रेस.91

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपीराइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटर्स
ए 33/2, साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
मोबाइल - 98112-69844

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य	4-7
5.	स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान	8-11
6.	हिंदी कार्यशाला	12-13
7.	कृत्रिम मेधा और रोजगार	14-17
8.	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	18-20
9.	राजभाषा पुरस्कार	21
10.	संसदीय समिति का जयपुर दौरा	22-23
11.	कार्यशील महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ	24-27
12.	काव्य-मंजूषा	28-29
13.	अंचलों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025	30
14.	नई शाखाओं का शुभारंभ	31
15.	मिनी - कहानी	32-35
16.	वर्तमान में राजभाषा हिंदी की प्रासंगिकता	36-39
17.	कहानी का शेष अंश (मिनी)	40
18.	आलेख एवं साक्ष्य उप समिति-भिवानी	41
19.	भाषायी विविधता में निहित एकता	42-44

आपकी कलम से

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, दिल्ली द्वारा प्रेषित हिंदी तिमाही पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का दिसंबर, 2024 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका की रंग सज्जा बहुत आकर्षक है तथा पत्रिका में प्रकाशित आलेख एवं सामग्री पठनीय एवं रुचिकर है। पत्रिका का प्रकाशन निश्चित रूप से कार्मिकों में राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन में सराहनीय कदम है। 'राजभाषा अंकुर' पत्रिका के संपादक मंडल एवं सभी लेखकों को पत्रिका की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

-(कुमार पाल शर्मा)
संयुक्त निदेशक (कार्यान्वयन)
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली)

"राजभाषा अंकुर" का दिसंबर 2024 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में नवीन और अद्यतित विषयों से संबंधित लेख जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास, समस्या की जड़, भारतीय संस्कृति और राजभाषा हिंदी तथा जीवन-चक्र इत्यादि अत्यंत रोचक और प्रेरणादायी हैं। साथ ही इस पत्रिका में राजभाषा व बैंकिंग गतिविधियां संबंधी छायाचित्रों का अत्यंत सराहनीय संकलन प्रस्तुत किया गया है। हर्ष की बात है कि पत्रिका की प्रगति के साथ-साथ वर्तमान में हमारे बैंक की राजभाषा उपलब्धियों के प्रतिशत में भी वृद्धि हो रही है। इस पत्रिका के माध्यम से अब स्टाफ सदस्य अपने अनुभव और विचारों को शब्द देने का प्रयास करते हैं। 'राजभाषा अंकुर' वास्तव में विचारों और अनुभवों को साझा करने का बेहतर मंच है।

पत्रिका के इस अंक के लिए संपादक मंडल को बधाई प्रेषित करता हूं। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ।

- (सतबीर सिंह)
आंचलिक प्रबंधक लखनऊ

आपके बैंक द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पत्रिका में रोचक आर्थिक, राजभाषा हिंदी से संबंधित कहानियों एवं कविताओं जैसी विभिन्न रचनाओं को शामिल किया गया है। पत्रिका में प्रकाशित संपादकीय बैंक के कारोबार में वृद्धि तथा बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे नवीनतम तकनीकी टूल्स की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हैं। पत्रिका में प्रकाशित ज्ञानप्रद लेख "भारतीय संस्कृति और हिंदी" भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की महती भूमिका के विषय में अवगत कराता है जिससे हमें हिंदी भाषा की समृद्धशाली विरासत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पत्रिका में 'राजभाषा हिंदी और फिनटेक' लेख के माध्यम से वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के मेल से वित्तीय समावेशन के माध्यम से जन-जन तक हिंदी भाषा में बैंकिंग को सहज बनाने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उचित एवं आकर्षक चित्रांकन कुशल संपादन को दर्शाता है।

समग्र रूप से परिपूर्ण, पठनीय व आकर्षक अंक प्रकाशित करने हेतु संपादक मंडल व संपूर्ण टीम को हार्दिक बधाई। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक सामग्री से भरपूर अगले अंक की हमें प्रतीक्षा रहेगी जिसके लिए हमारी अनेकानेक शुभकामनाएं।

-(विवेकानंद)
सहायक महाप्रबंधक (राभा)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय मुंबई

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

देश का गणतंत्र, अपना 75 वर्ष पूरा कर चुका है। यह क्षण हमारे लिए और भी विशेष है क्योंकि इस समय भारतीय गणतंत्र की प्रथम नागरिक एक महिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक भारतीय लोकतंत्र के निर्णयन चाहे वह राज्य में हो अथवा राष्ट्र में, महिलाओं की भागीदारी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। स्वामी विवेकानन्द का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति उसकी प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है।

प्राचीन भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि रहा है। बाह्य आक्रांताओं और विदेशी शासन ने महिलाओं के सामाजिक, पारिवारिक स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया लेकिन दमनकारी और शोषणकारी नीतियों के उपरांत भी भारतीय नारियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। साहित्य, सिनेमा, समाज, खेल, अर्थव्यवस्था, प्रशासन इत्यादि क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ी है। भारतीय साहित्य जगत में जहां मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा और गीतांजली श्री जैसी अनेक लेखिकाओं ने स्त्री- चिंतन को सार्थकता दी है वहीं खेल जगत में भी देश का नाम गौरवान्वित करने वाली महिलाओं की लंबी फेहरिस्त है।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अवलोकन किया जाए तो महिलाओं ने अलग-अलग भूमिकाओं में आंदोलन को गति दी। नमक सत्याग्रह के समय गाँधी जी की गिरफ्तारी पर श्रीमती सरोजनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, रूक्मिणी लक्ष्मीपति ने सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के समय सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट जैसी कई महान भारतीय महिलाओं का भारत के प्रति अटूट समर्पण किसी परिचय का मोहताज़ नहीं है। संविधान निर्माण के चरण में लीला रे, राजकुमारी अमृत कौर, हँसता मेहता, दुर्गाबाई, सचेता कृपलानी, रेणुका रे, कमला चौधरी, अम्मा स्वामीनाथन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी की भागीदारी उल्लेखनीय रही।

यह बात तो निश्चित है कि महिलाएं शक्ति का पर्याय और समाज की धुरी हैं। हमारा लक्ष्य सामाजिक सूझबूझ से इस प्रकार के समाज का निर्माण करना होना चाहिए जहां नारी प्रतिभा स्वपोषित हो। मैं, पत्रिका के माध्यम से बैंक के उन महिला कार्मिकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों के उपरांत भी बैंक कारोबार में वृद्धि के लिए यथासंभव प्रयास किए हैं। पत्रिका का यह अंक समाज के उस वर्ग को समर्पित है जो हमारे सामाजिक संतुलन, सामंजस्य, विकास और प्रबंधन को सार्थकता प्रदान करते हैं।

(गजराज देवी सिंह ठाकुर)
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

रश्मिता क्वात्रा

भारतीय महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य

भारत में महिलाओं की भूमिका समय के साथ काफी विकसित हुई है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों द्वारा आकार लेती है। प्राचीन सभ्यताओं का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था किंतु बाद के समय में उनके अधिकारों और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए किंतु विश्वभर में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक नीतियों के साथ, महिलाओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका फिर से हासिल कर ली है। आज, महिलाएं समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

बीते आठ मार्च को हमने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस" सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए : अधिकार, समानता, सशक्तिकरण" की थीम के साथ मनाया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कई मायनों में न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं के उत्सव का दिन होता है जिसे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक दिन को सबसे पहले न्यूयॉर्क नगर में वर्ष 1909 में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। वर्ष 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया और यह आसपास के अन्य देशों में फैल गया। इसी अनुक्रम में 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया भर में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए। पश्चिमी देशों में वयस्क मताधिकार के लिए हुए आंदोलनों ने दुनिया भर में महिलाओं की लड़ाई को जबरदस्त ताकत दी। इसके साथ भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की लड़ाई 19वीं सदी की शुरुआत में पुरुष समाज सुधारकों द्वारा शुरू की गई थी। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, बहु विवाह एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां रहीं। इसे सामाजिक प्रगतिशीलता में बाधा मानते हुए बहुत से व्यक्तियों व संस्थाओं ने इसे दूर करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय इस कड़ी में सबसे प्रमुख हैं। बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह के ख़िलाफ लोगों के अंदर जागरूकता पैदा

करना समय की माँग थी जिसे ब्रह्म समाज द्वारा किया गया। इसी क्रम में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया और कराए भी गए जिसके कारण सामाजिक असंतोष उपजा। फलस्वरूप 1872 ई. में सिविल मैरेज ऐक्ट पास हुआ। इसमें महिला के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 14 वर्ष किया गया था। केशव चंद्र सेन ने महिला शिक्षा के लिए सार्थक प्रयास किए। इस प्रकार राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा व सवित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई जैसे लोगों ने तत्कालीन समाज के अनुसार स्त्रियों की समस्याओं को दूर कर उनके लिए एक अनुकूल माहौल बनाकर व उनको सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। बाद में महिलाओं ने खुद स्थानीय और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाना शुरू कर दिया। इनमें से अधिकांश संगठनों ने महिलाओं के खिलाफ सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए काम किया लेकिन आजादी के आसपास के वर्षों में राजनीतिक अधिकारों और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की मांग भी देखी गई। आजादी के बाद की दुनिया में महिलाओं ने कठोर सामाजिक मानदंडों और पितृसत्ता के खिलाफ एकजुट होकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय आदि जैसे मुद्दों को उठाया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सार्वभौमिक रूप से सन 1975 से बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष की गाथा बहुत ऐतिहासिक एवं मार्मिक तो है ही, साथ ही अत्यंत प्रेरणादायी भी है।

स्त्री को जननी के रूप में स्वीकारने वाले समाज के आगे अतंरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने व्यापक संघर्ष किया है। आज महिलाओं की वर्तमान स्थिति जो हम देखते हैं वे संघर्षों का ही परिणाम है। आज महिलाएं आत्म-सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ घर, समाज, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भूमिकाओं का बखूबी निर्वाह कर रही हैं, वह चाहे सामाजिक-राजनीतिक स्तर हो या फिर आर्थिक। नौ माह बाद सुनिता विलियम का अंतरिक्ष से धरती पर अवरोहण हुआ। उनके इस साहसिक कृत्य ने समाज में महिलाओं के प्रति नवीन उच्च मानक स्थापित किए हैं। यहां उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी मायने में निम्नतर नहीं रही। वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

वर्तमान स्त्रियां, प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। शिक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं में नवीन चेतना भर दी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हो रही है। आज महिलाएं राजनीति, व्यापार, कला तथा खेल सहित रक्षा क्षेत्र में भी नए आयाम गढ़ रही हैं। सेना जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी महिलाएं अपनी भूमिका का पुरुषों के साथ कदम मिलाकर निवर्हन कर रही हैं। हाल ही में अवनी चतुर्वेदी सहित तीन लड़कियों को वायुसेना में फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति प्रदान की गई है। यह उनकी कार्यक्षमता का द्योतक है क्योंकि प्राय: कमज़ोर समझी जाने वाली महिलाएं आज कठिन माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। अग्नि-V मिसाइल के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाली टेंसी थॉमस को 'मिसाइल वुमेन' के नाम से जाना जाता है। शीर्ष क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी दुनिया के सामने रखी है। आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है। देश के कई आर्थिक संस्थानों के शीर्ष पदों पर महिलाएं कार्यभार संभाल रही हैं तथा देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं।

भारत के संबंध में कई बार वर्ल्ड बैंक ग्रुप आदि ने कहा है कि अगर यहाँ पर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि की जाए तो भारत की विकास दर में तीव्र वृद्धि हो सकती है। कार्य-बल में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत की रैंकिंग विभिन्न देशों के मध्य निम्न है परंतु हमारे देश में इस स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचाने हेतु कार्य किया जा रहा है।

देश की महिलाएं आर्थिक विकास को बढ़ाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। देश की वित्त मंत्री महिला है, यह बात देश की महिलाओं को और अधिक गौरवान्वित होने का मौका देती हैं। पिछले 5 वर्षों में एक उल्लेखनीय बदलाव में, भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी 24.5% से बढ़कर 41.7% हो गई है जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। विगत रिपोर्टों के अनुसार वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2024 के दौरान कामकाजी महिलाओं की संख्या 11 करोड़ से बढ़कर लगभग दोगुनी होकर 21 करोड़ हो गई है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन वित्त वर्ष 2015 में 1.57 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 2.07 करोड़ हो गया, यानी 31.6% की वृद्धि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लैंगिक समावेशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ज़ोर देने से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को विशेष रूप से लाभ हुआ है। डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहलों के माध्यम

से बढ़ती डिजिटल साक्षरता ने महिलाओं को आधुनिक रोजगार के लिए महत्वपूर्ण कौशल प्रदान किया है।

आधारभूत अवसंरचना और गतिशीलता में सुधार से महिलाओं की कार्यक्षमता का विस्तार हुआ है। सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन के विस्तार (विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में) ने कामकाजी महिलाओं के लिए यात्रा को अधिक व्यवहार्य बना दिया है। शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं से शहरी कामकाजी महिलाओं को विशेष तौर पर लाभ हुआ है। व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं के अनुकूल कार्यस्थलों और शिशु देखभाल गृह के बढ़ने से भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में पिंक बस, महिला स्पेशल बस, बसों के किरायों में छूट जैसी सुविधाओं ने उनके आर्थिक बोझ को कम करने के साथ-साथ सुरक्षित माहौल प्रदान किया है। ई-कॉमर्स और सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के विकास ने महिलाओं को घर से ऑन-लाइन व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाया है, मीशो, शोपसी, न्यायका जैसे प्लेटफॉर्मों पर 9 मिलियन महिला उद्यमी हैं। गिग इकॉनमी के विस्तार ने लचीले आय के अवसर उत्पन्न किए हैं, अर्बन कंपनी तथा यस मैडम जैसी ब्यूटी कंपनियों ने नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को आगे रखा है और उन्हें घर बैठे रोज़गार के अवसर दिए हैं। दूरस्थ कार्य/ रिमोट वर्क नीतियों से विशेष रूप से शहरी शिक्षित महिलाएं लाभान्वित हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उत्कृष्ट वृद्धि देखी गई है।

इन सभी सुधारों में सरकारी नीतियों का विशेष योगदान रहा है। मुद्रा योजना जैसी लक्षित नीतियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है, नवंबर 2023 तक स्वीकृत कुल ₹44.46 करोड़ ऋणों में से 69% महिलाओं को दिए गए हैं। स्टैंड-अप इंडिया योजना से 1.34 लाख उद्यमियों को मदद मिली है, इनमें से 81% महिलाएं हैं। बड़े संगठनों में विस्तारित मातृत्व अवकाश (26 सप्ताह) और अनिवार्य क्रेच सुविधाओं ने कामकाजी माताओं को सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं का अनुपात सराहनीय रूप से बढ़ा है जो वित्त वर्ष 2016 में 42.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 52.3% हो गया है। जन-धन योजना ने 29 करोड़ से अधिक महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली में लाकर उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की है। फरवरी 2023 तक, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों की 8.93 करोड़ महिलाओं को ₹82.61 लाख स्वयं

सहायता समूहों में संगठित किया गया है। लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता समूह पहल का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। इसके अतिरिक्त कई राज्य सरकारों द्वारा महिला सम्मान में आरंभ की गई पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं भी कारगर सिद्ध हुई हैं।

महिलाओं के आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने में कॉरपोरेट जगत ने भी अहम भूमिका निभाई हैं। कई महत्वपूर्ण कॉरपोरेट सेक्टर एवं कंपनियों को महिलाएं लीड कर रही हैं। फोर्ब्स की 100 विश्व की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ तथा एचसीएल कॉरपोरेशन की रोशनी नादर मल्होत्रा शामिल हैं एवं रोशनी नादर हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, वह दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में पांचवे स्थान पर पहुंच गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर कई ऐसी इंफ्लुएंसर हैं जो दूसरी स्त्रियों को प्रेरणा दे रही हैं। इसमें अभी कान फिल्म फेस्टीवल में शामिल यूट्यूबर नैंसी हैं जिसने अपने हुनर के बल पर सस्ते कपड़ों से बेहतरीन डिज़ाइनर परिधान सिलती हैं, वह स्वयं एक निम्न वर्ग से संबंध रखती थी किंतु अपनी मेहनत एवं हुनर के बल पर वैश्विक मंच पर पहुंचकर अपनी पहचान बनाई है।

कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों ने महिला कार्मिकों के लिए विशिष्ट लक्ष्य के साथ विविधता नीतियों को तेज़ी से अपनाया है। लचीले कार्य घंटों और रिटर्न-टू-वर्क (काम पर वापस लौटने) के कार्यक्रमों ने महिला प्रतिभा को बनाए रखा है। शीर्ष पाँच आईटी कंपनियों में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी सत्र 2023-24 की पहली तिमाही के अंत में 34.1% थी। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निदान) अधिनियम, 2013 और विशाखा दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन से महिलाओं के लिए

अधिक सुरक्षित एवं समावेशी कार्यस्थल की स्थापना हुई है जिससे कॉरपोरेट क्षेत्र में लैंगिक समानता को और बढ़ावा मिला है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि से कई सामाजिक और आर्थिक लाभ देखने को मिले हैं किंतु फिर भी महिलाएं अभी भी स्वयं को आर्थिक क्षेत्र में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा पा रहीं हैं क्योंकि आज भी भारतीय समाज पुरुष मानसिकता से ग्रसित है। सुदृढ़ सामाजिक मानदंड गहराई से समाज में स्थापित हैं तथा यह रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रायः महिलाओं की गतिशीलता, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को प्रतिबंधित करते हैं। भारतीय महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्यों का विसंगत रूप से अधिक बोझ उठाना पड़ता है। इससे शिक्षा, कौशल विकास और वैतनिक आर्थिक गतिविधियों के लिए उनके पास उपलब्ध समय सीमित हो जाता है।

वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ, कार्यस्थलों पर व्याप्त भेदभाव और महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए बहु-पक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर महिला के लिए उचित माहौल तैयार किया जाना चाहिए। सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा योजनाओं के साथ अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े प्रयासों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। देश की महिलाओं की आधी आबादी आज भी कॉरपोरेट जगत से दूर रहना पसंद करती हैं। महिलाएं अपने लिए सुरक्षित रोज़गार की तलाश अधिक करती हैं।

चूंकि सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोझ उन पर पुरुषों के बनस्पद अधिक होता है इसके अतिरिक्त कई महिलाओं को अपने रुचि के अनुसार कार्य चुनने का त्याग भी करना पड़ता है। महिलाओं को प्रायः नियुक्ति, पदोन्नति ('ग्लास सीलिंग' एवं 'ग्लास क्लिप') और वेतन में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यातायात साधनों की पहुंच में विस्तार के साथ सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन केंद्रों आदि के तंत्र को मज़बूत करना बहुत ही आवश्यक है। उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षणों में शामिल होने के लिए महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही नीति निर्माण और महत्वपूर्ण संसाधनों के शीर्ष तंत्र में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत 146 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है तथा उसने समग्र लैंगिक अंतराल के 64.3% को समाप्त कम कर दिया है। हालाँकि, आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में देश ने केवल 36.7% समानता ही हासिल की है। भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि देश के विकसित होते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का प्रमाण है। हालांकि वेतन भेदभाव, देखभाल अर्थव्यवस्था की उपेक्षा, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और पूंजी तक अभिगम जैसी चुनौतियां बनी अभी भी सामने खड़ी हुई हैं। लक्षित नीतियों, समावेशी बुनियादी ढांचे और सहायक सामाजिक मानदंडों के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करना महिलाओं की पूरी क्षमता को उजागर करने तथा भारत के सतत् विकास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर, भारत न केवल समावेशी विकास प्राप्त कर सकता है, बल्कि एक विकसित समाज एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण भी कर सकता है।

"हम पड़ाव को समझे मंज़िल
लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल
वतर्मान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं
आओ फिर से दिया जलाएं"

-महाप्रबंधक
प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

मोहन लाल

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान

भारत एक विशाल देश है, दुनिया का सातवाँ बड़ा देश और अतीत की बात करें तो विभाजन होने तक यह अति विशाल था। तिब्बती हिमालय के दक्षिण में एकाध अपवाद, श्रीलंका और मालदीव को छोड़कर जो भी भूमि थी, भारत ही था। इतने बड़े देश में अनेक भौगोलिक क्षेत्र, विभिन्न बोलियाँ व भाषाएं अनंत काल से अपना सहअस्तित्व बनाएं हुए थीं और पहनावे, खान-पान व रहन-सहन में कितने ही अंतर थे। भारत के एक भाग की जलवायु दूसरी भौगोलिक इकाइयों से बिल्कुल अलग थी। आपसी संपर्क के साधन बहुत कम, इतने कम कि शायद नहीं के बराबर। फिर भी सबके सुख-दुःख, सोच, पूजा-पद्धति या इबादत का तरीका एक। अंग्रेज कहते थे कि भारत को एक राष्ट्र जैसा उसने बनाया, समस्त राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी, अलग-अलग राजे महाराजों को समाप्त कर एक देश बनाया तो सुदुर दक्षिण में रानी चेनम्मा और उत्तर भारत की रानी लक्ष्मी बाई दोनों ने एक ही वजह, अपनी राष्ट्र-भक्ति के लिए कैसे अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना से भिड़ गईं? इसका तात्पर्य तो यही हो सकता है कि भौगोलिक दूरी के बावजूद दोनों की सोच एक जैसी थी, दोनों देशभक्ति के नीहित भाव को एक ही तरीके से समझती थीं।

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को पीढ़ियों में बांट कर देखा जा सकता है। प्रारंभिक काल में ब्रिटिश राज की जबरदस्ती के विरुद्ध आक्रोश के रूप में विप्लव फूटा। जैसे-जैसे ब्रिटिश राज के पैर जमते गए, विस्तार होता गया और भारतीय संस्कारों, परंपराओं के विरुद्ध उनकी नीतियां हमलावर होने लगी तो दक्षिण भारत की सबलाओ ने यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने सीमित संसाधनों के साथ मात्र अपनी संकल्प शक्ति से उन विशाल संसाधनों से परिपूर्ण शक्तियों का प्रतिकार किया। दूसरी पीढ़ी की नायिका रहीं, रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहयोगी महिलाएं। इस पीढ़ी में राज्य की, अस्मिता की, मान-सम्मान की लड़ाई थी। झांसी की रानी के जगाए अलख से पूरे उत्तर भारत में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। रानी अवंती बाई भी इसी कड़ी में थीं। मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में टंट्या मामा जैसे विप्लवी ने अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया और इसकी प्रेरणा स्रोत टंट्या मामा की माताजी थीं। गाँव की इन अनपढ़ महिला को सम्मान का अर्थ और विदेशियों की नीयत का पूरा ज्ञान था। तीसरी पीढ़ी में पूरे देश में आजादी की लड़ाई शुरु हो गई जिसके अनेक प्रतिरूप थे। समाज में व्याप्त कुरीतियां, महिलाओं पर थोपी वर्जनाओं के विरुद्ध यह विद्रोह, सामाजिक स्तर पर रहा जिसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए आग्रह और उनकी बड़ी भूमिका के लिए तैयारी का भाव था।

इस पीढ़ी में अनेक विद्रोहिणी नारियों ने प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध आगे आकर परंपराओं जैसे विजातीय विवाह, विधवा विवाह इत्यादि के मिथक को तोड़ा। इसमें सावित्री बाई फूले और पंडिता रमा बाई का नाम उल्लेखनीय हैं। सन 1882 में ताराबाई शिंदे ने अपने क्रांतिकारी पुस्तक के प्रकाशन से पुरुष आधारित सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया और पुस्तक में उन शिकंजों से बाहर आने की अकुलाहट भी प्रस्तुत की गई। पंडिता रमाबाई ने तो प्रचलित सामाजिक वर्जनाओं को सीधे-सीधे चुनौती दी। एक ब्राह्मण परिवार की होकर भी उन्होंने तथाकथित शूद्र से विवाह किया। ये महिलाएं घरेलू होने के साथ-साथ सामाजिक कार्य में भी रुचि लेने लगी जिससे महिलाओं की साधारण छवि और भूमिका में भी बदलाव दिखने लगा।

अगली पीढ़ी में विदुषी महिलाओं का दौर आया। इन महिलाओं ने राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को नई धार दी। अब ये पुरुषों से कंधा मिलाकर आंदोलन की अनेक गतिविधियों में सम्मिलित होने लगीं। असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो महिलाओं ने प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडु, अरुणा आसफ अली, सरला देवी, कमला देवी, विजयलक्ष्मी पंडित, स्वरूप रानी, कमला नेहरू, कस्तूरबा आदि ने अपनी सक्रियता से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को व्यापक बना दिया। इनके त्याग और प्रयासों ने स्वतंत्रता की लड़ाई को सर्वव्यापी बना दिया। महिलाएं, अब चुनावी राजनीति में भी शिरकत करने लगी। भारतीय संविधान सभा में पंद्रह महिलाएं थी जिनमें राजकुमारी अमृता कौर, बेगम रसूल जैसी राज परिवारों की महिलाएं थीं तो दाक्षायणी वेलुयाधन जैसी दलित महिला भी थी। सरोजनी नायडु, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपालानी जैसी राजनैतिक महिलाओं के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों की नामचीन महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में उल्लेखनीय रहा।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के छिट-पुट या फिर बिखरे हुए स्वरूप का भारतीय एकात्म भाव के संगठित संग्राम में परिवर्तित होने का मूल कारण था भारतीय महिलाओं का संग्राम में कूदना। भारतीय नारियां मूलतः घर की चहार दीवारी में बंद दिखती जरूर हैं लेकिन अपने घर-संसार के लिए उनका बेपनाह समर्पण ही उनकी शक्ति का स्रोत है और जैसे ही समय की पुकार को सुन अपने विस्तारित घर, अपने देश, अपनी मातृभूमि को उन्होंने संकट में देखा, उसी समर्पण भाव से देश की आजादी के लिए बलिदान होने को तैयार थीं। एक बार महिलाओं के सम्मिलित होते ही भारत के पुरुष वर्ग में भी चेतना का संचार होने लगा और देखते-देखते एक विराट स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा हो गया।

आज हमारे देश में महिलाओं की संख्या करीब-करीब पुरुषों की जनसंख्या के बराबर है और इतनी बड़ी आबादी की देश की प्रगति में भूमिका स्वयं सिद्ध है। विशेषकर तब, जब हम इतिहास के पन्नों में महिलाओं द्वारा स्थापित प्रतिमानों का अवलोकन करते हैं। ब्रिटिश दासता के दौर मे शोषण, अपमान और भारतीय मूल्यों का रौंदा जाना, प्रत्येक भारतीय को आहत कर रहा था। इनमें से अनेक वीरों ने शक्तिशाली ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई और अंततः भारत के वीरों ने दासता की इस बेड़ी से भारत को मुक्त कर दिया। इन वीरों में वीरांगनाओं की भूमिका भी जबरदस्त रही। समाज के प्रत्येक वर्ग से निकली वीर महिलाओं ने अपने-अपने तरीकों से विदेशी शासन का प्रतिकार किया। इसमें विदुषी, संभ्रांत घरों की महिलाए भी थीं तो उपेक्षित जनजातीय महिलाओं ने भी डटकर इसमें भाग लिया।

यह वह दौर था जब भारतीय समाज में महिलाओं के स्वाभाविक विकास के विरुद्ध अनेक वर्जनाएं थीं। शिक्षा का अभाव, पर्दा प्रथा, बाल-विवाह और यहां तक कि सती जैसी जघन्य परंपरा। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दूसरे समाज सेवकों ने जैसे ही इन वर्जनाओं के विरुद्ध सुधार कार्यक्रम शुरु किए, महिलाओं ने परिवर्तन को अंगीकार किया और फिर घर की दहलीज से बाहर निकलकर सामाजिक सुधार, परिवर्तन को मुखर बनाया। जोश, बलिदान और त्याग के ऐसे प्रतिमान गढ़े कि भारतीय समाज परिवर्तन के हिचकोले लेने लगा। सावित्री बाई फुले ने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बालिकाओं और विशेषकर पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को सुशिक्षित करने का बीड़ा उठाया। तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति विपरीत थी, सामाजिक विरोध भी झेलना पड़ा लेकिन उनके पग अडिग रहे।

समाज में शिक्षा की बयार से महिलाओं के जीवन को नया उद्देश्य मिला और स्वाधीनता संग्राम में उत्सर्ग की भावना के साथ महिलाओं की उपस्थिति ने स्वाधीनता संग्राम को उत्तरोत्तर धारदार बनाया। अठारह सौ सत्तावन के विप्लव में रानी लक्ष्मी बाई का योगदान

चिरस्मरणीय है। उन्होंने अपने सहयोगियों झलकारी बाई व अन्य के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया कि अंग्रेज अधिकारी भी उनकी वीरता के कायल हो गए। मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोत्तम बलिदान की कथा महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए रानी लक्ष्मीबाई सदैव प्रेरणा का स्रोत हैं। दिल्ली के तख्त पर आसीन बहादुर शाह ज़फ़र की महिषी जीनत महल और अवध की बेगमों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध माहौल तैयार किया जिसने अठारह सौ सत्तावन के संग्राम को बुलंदियों तक पहुंचाया। "खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी" एक किवदंती बन गई और आज भी जब कोई महिला किसी मुद्दे पर डटकर सामने आती हैं तो उन्हें झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है।

जिस देश में कुछ वर्ष पूर्व तक महिलाओं का शिक्षित होना दुरुह था, वहां कादम्बिनी गांगुली का नाम भारत के स्नातकों में उल्लेखनीय है। रमा देवी जैसी समाज-सुधारक ने सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। गढ़ मांडला की अवंती बाई, अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के पंजे से छुड़ाने के लिए भिड़ गई और बलिदान का इतिहास रच दिया। इन सब महिलाओं में से कुछ ने नारियों के विरुद्ध सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तो कुछ ने अपने परिवार को स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरित किया। कुछ ने सामने आकर अंग्रेजी सरकार को सीधे-सीधे चुनौती दी और कुछ ने गाँधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन में भाग भी लिया, ब्रिटिश जेल में भी गई और पूरे दम आम से पुरुषों के साथ मिलकर आंदोलन को सफल बनाने में भूमिका निभाई।

सन 1930 में गाँधी जी ने साबरमती से समुद्र तट डांडी तक पैदल यात्रा की। इस यात्रा में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी भाग लिया जिसमें सरोजनी नायडू का नाम उल्लेखनीय है। गाँधी जी के नेतृत्व में महिलाओं की सक्रियता ने एक तरफ आंदोलन को गति और शक्ति दी तो दूसरी ओर शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश की अवहेलना कर इन महिलाओं ने मातृ-शक्ति की ताकत भी दिखाई। इसी आंदोलन में सुदूर उत्तर-पूर्व की रानी गाइडेनलू ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने यौवन के दिन ब्रिटिश जेल में बिताए। मध्यप्रदेश में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की चिंगारी फैली और वहाँ संरक्षित जंगल में घास और जंगल काटकर जंगल सत्याग्रह शुरु किया गया। पुलिस के दमन में गोली खाकर मरने वालों में बेमा बाई, रैना बाई, गुड्डों बाई भी थीं जो स्थानीय जनजाति से ताल्लुक रखती थीं परंतु आजादी के लिए सर्वोच्च त्याग करने को तत्पर थीं। नागपुर और जबलपुर के झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान की भूमिका भी किसी बड़े पुरुष के त्याग से कमतर नहीं था।

भारत में मातृशक्ति की आराधना की प्राचीन परंपरा रही है और माँ दुर्गा को राक्षसों का अंत करने वाली बताया गया है। "यत्र नारी पूज्यंते, रमंते तत्र देवता" प्राचीन सूक्ति है। देवताओं की उपस्थिति का अर्थ है पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण शाँति क्योंकि मातृ-शक्ति के आधीन राक्षसों का विध्वंस सुनिश्चित है। अंग्रेजों के प्रारंभिक काल में जब भारत के कतिपय हिस्सा पर ही उनका कब्जा था, होल्कर महारानी अहिल्या बाई ने उनकी नीयत को पहचान लिया था और न सिर्फ पहचान लिया था बल्कि प्रथम मराठा युद्ध में उनकी प्रेरणा से मराठों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। भीमा बाई होल्कर ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजी राज के शुरुआती दौर में ही संन्यासी विद्रोह में महिला साध्वी भी अंग्रेजी सेना से भिड़ गई।

मैडम कामा ने अपने अखबार वंदेमातरम् के माध्यम से भारत से बाहर रहकर क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया और क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के इंडियन रिपब्लिक आर्मी से महिलाएं जुड़ीं। इन महिलाओं ने जान पर खेलकर गुप्त क्रांतिकारी समितियों के संदेश वाहक का काम किया, क्रांतिकारियों को आश्रय दिया और यहाँ तक कि हाथ में बंदूक लेकर भी लड़ी। प्रीति लता वाडेदार ने शहादत दी तो कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। शाँति घोष और सुनीति चटर्जी जैसी विद्यालयीन बालिकाओं ने आततायी जिलाधीश को गोली मारी थी। एक अन्य वीरांगना बीना दास ने गवर्नर पर ही गोली चला दी। ये कहानियाँ इस बात का प्रमाण है कि घर की चहार दीवारी से निकलकर भारत की नारियों ने आजादी की लड़ाई में सहर्ष अपनी आहुति दी।

भारतीय संदर्भ में महिलाओं का यह योगदान सामान्य नहीं था क्योंकि जिस परिवेश से वह बाहर निकलीं, वह परिवेश रूढ़िवाद, परंपरा और महिलाओं पर आरोपित वर्जनाओं से त्रस्त था। शिक्षा का अभाव और वर्षों के शोषण के बावजूद आजादी के प्रश्न पर इन महिलाओं का अदम्य उत्साह और उत्सर्ग की भावना का आकलन उनकी स्थिति और पृष्ठभूमि में किया जाए तो इनकी भूमिका का महत्व और उनकी चुनौती को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। दक्षिण भारत के रजवाड़े और रानी वेलु आदि ने मात्र अपने राज्य की रक्षा नहीं की बल्कि अपने अस्तित्व पर आघात के विरुद्ध जंग लड़ी। ऐसी वीरांगनाओं की लंबी सूची है जो यह स्पष्ट कर देता है कि भारत को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त करने के लिए भिन्न- भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली इन महिलाओं में जो सामान्य चीज थी वह था उनका साहस और त्याग।

पुर्तगालियों के विरुद्ध रानी अबबाका का संघर्ष वर्ष 1555 में ही शुरू हो गया था और इस लड़ाई में भी पूरे प्राणपण से रानी लड़ी भी और वीरोचित गति को प्राप्त भी हुई। रानी चेनम्मा ने 1857 के पूर्व ही अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए शहादत तक जंग जारी रखी। बेगम हजरत महल का साहस, उदा देवी का त्याग और बहादुरी, झलकारी बाई, लक्ष्मी बाई, अवंती बाई सबने प्राणों की आहुति दी और स्वाधीनता के महत्व को भी समझा दिया। आबादी बानो बेगम हिंदुओं के साथ मिलकर, बुर्का पहन कर राजनैतिक जागरण के लिए आगे आईं। इस सूची में राजकुमारी गुप्ता का नाम उल्लेखनीय हैं जो गाँधीवादी आंदोलन के साथ-साथ क्रांतिकारियों में भी सम्मिलित रहीं। दुर्गा भाभी जो भारत की क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी रही और शहीदे आजम भगत सिंह की सहयोगिनी रही। कनकलता बरुआ मात्र सत्रह वर्ष की अल्पायु में देश के लिए अमर हो गई। सभी महिलाएं अलग-अलग सामाजिक वातावरण में रहीं पर उनका उद्देश्य और साध्य एक ही था, भारत की आजादी।

अरुणा आसफ अली, सरला देवी, कमला देवी जैसी प्रबुद्ध महिलाओं ने गाँधी जी द्वारा आहूत आंदोलनों में प्राणपण से भाग लिया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने हर तरह से महिलाओं का दमन किया। स्वाधीनता के लिए महिलाओं ने पुलिसिया जुल्म सहे, जेल गई परंतु अपनी संकल्प शक्ति के कारण लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहीं। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता अधिकतर राज परिवारों से जुड़ी महिलाओं तक सीमित थी परंतु ब्रिटिश काल में हर तबके की महिलाएं अपने-अपने तरीके से स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा बनीं। इतिहास की पुस्तकों में जिन नामों की चर्चा है वह अत्यल्प है। वास्तव में गाँवों, पिछड़े जनजातीय इलाकों और पिछड़ी जातियों की अनेक महिलाओं ने इस संग्राम में भाग लिया जो इतिहास में तो गुमनाम हैं पर उनका योगदान, नमन के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम को जन आंदोलन कहा जाता है क्योंकि इस आंदोलन में जन-जन ने, पुरुषों ने और विशेषकर महिलाओं ने भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब भारत के सभी बड़े नेता, क्रांतिकारी नजरबंद कर लिए गए तो आत्मस्फूर्त जनांदोलन ने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी। पुलिस प्रताड़ना का शिकार महिलाएं भी बनीं जो दो मोर्चों पर खड़ी थीं। एक तरफ अपने घर के पुरुषों का मनोबल बढ़ाते रहना, प्रशासन से छिपकर क्रांतिकारियों के मध्य संदेश पहुंचाना और दूसरी तरफ स्वयं आगे आकर नेतृत्व संभालना।

जब बहुत से स्वाधीनता सेनानी अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहकर, छिपकर आंदोलन का मार्गदर्शन कर रहे थे तो उषा मेहता जी ने रेडियो संचालन के माध्यम से संपर्क बनाए रखा। भारत के बाहर से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने सशस्त्र युद्ध का आह्वान किया तो सेना में महिलाओं की भी एक टुकड़ी रानी झांसी रेजिमेंट बनाया गया जिसका नेतृत्व कैप्टेन लक्ष्मी ने किया। तत्कालीन परिस्थितियों में सेना में सम्मिलित होकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में शामिल होना, युद्ध की दुश्वारियों से भयहीन भारतीय महिलाओं की भागीदारी उनके अदम्य साहस का वृत्तांत ही तो है। अपनी आजादी के लिए हंसते-हंसते मृत्यु का आलिंगन करना उस देश की महिलाओं द्वारा किया गया जिस देश की महिलाओं को कमजोर पराश्रित बताया जाता रहा। अपनी रुढ़ियों की बंदिश तोड़कर भारतीय वीरांगनाओं ने देश और विश्व का इतिहास बदल दिया। ऐसी माँ भारती और उनकी पुत्रियों को शत-शत नमन।

-राजभाषा अधिकारी
आंचलिक कार्यालय देहरादून

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय होशियारपुर

आंचलिक कार्यालय देहरादून

आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम

आंचलिक कार्यालय बरेली

आंचलिक कार्यालय लखनऊ

आंचलिक कार्यालय जयपुर

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय नोएडा

आंचलिक कार्यालय गुवाहाटी

स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, रोहिणी, नई दिल्ली

आंचलिक कार्यालय कोलकाता

आंचलिक कार्यालय फरीदकोट

आंचलिक कार्यालय भोपाल

कृत्रिम मेधा और रोजगार

लवली गुप्ता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम मेधा (एआई) वह तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी तर्कशक्ति और स्वायत्त निर्णय लेने जैसी क्षमताएं प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। कृत्रिम मेधा एक प्रकार का प्रौद्योगिकियों का समूह है जो कंप्यूटर को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाता है जो आम तौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। आज के दौर में जहाँ पत्र की जगह एसएमएस, व्हाट्सएप ने ले ली है वहीं दुनिया भर में हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे इस्तेमाल हो रहा जैसे कि हम अपने दिमाग में कुछ भी सोचे वह हमारे मोबाइल, कंप्यूटर आदि में इस तरह से प्रभावित हो जाता है कि उससे जुड़े हर उपयोगी जानकारी को वो हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर साधारण भाषा में उदाहरण देकर समझाया जाए तो कैलकुलेटर। ये मानव द्वारा आविष्कार किया गया ऐसा पहला यंत्र है जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर काम करता है। इस आविष्कार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हम जैसा सोचते हैं कि 1+1 = 2 होता है उसी तरह ये हमारी और सोच को आगे बढ़ाने में मदद करते हुए 2+2 = 4 कर पाता है। हम अगर अंको को जोड़ना, घटाना या गुणा करने के लिए इसका प्रयोग कर पाते है और जैसा हम चाहते है वैसा इसका प्रयोग अपनी गणना में कर पाते है। कैलकुलेटर भी इनपुट, आउटपुट तकनीक पर काम करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गणित और तर्क का इस्तेमाल करके नई जानकारी से सीखने और फ़ैसले लेने के लिए इंसानो की तरह ही काम करती है। एआई डाटा का विश्लेषण करके, अनुभवों से सीखकर और मानव इनपुट के आधार पर स्मार्ट फ़ैसले लेती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी मात्रा में डाटा को आत्मसात करके

भाषण पहचानना, पैटर्न और रुझानों को पहचानना, समस्याओं को हल करना और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाना सिखाती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक ग्राहक सहायता में मानवीय तरीके से बातचीत का जवाब दे सकती है, मार्केटिंग के लिए मूल चित्र और पाठ बना सकती है और एनालिटिक्स के लिए स्मार्ट सुझाव दे सकती है। अंततः कृत्रिम मेधा का तात्पर्य अनुकूलित उपयोगकर्ता संवाद और जटिल समस्या-समाधान के लिए सॉफ्टवेयर को अधिक स्मार्ट बनाना है। आधुनिक संगठन, विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में डाटा एकत्र करते हैं जैसे स्मार्ट सेंसर, मानव निर्मित सामग्री, निगरानी उपकरण और सिस्टम लॉग। इस तकनीक का उपयोग चैटबॉट, कंटेंट क्रिएशन और यहाँ तक कि ई-मेल या रिपोर्ट लिखने के लिए भी किया जाता है। स्पीच जनरेशन एआई को बोले गए शब्दों का उत्पादन करने की अनुमति देता है जैसे वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा, सिरि आपसे बात करते हैं। स्पीच जनरेशन तब होता है

जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय भाषण को समझता है और उसका प्रसंस्करण करता है। इस तकनीक का व्यापक रूप से वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइस ग्राहक सेवा हॉट-लाइन और यहाँ तक कि विकलांग लोगो को अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानकारी की अधिक व्यापक समझ बनाने के लिए टेक्स्ट, इमेज और ध्वनि जैसे विभिन्न डाटा प्रकारों को जोड़ता है। मल्टीमॉडल एआई वीडियो में बोले गए शब्दों और वस्तुओं को समझकर और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर वीडियो का विश्लेषण कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस उन्नत रूप का उपयोग स्वायत्त वाहनों क्षेत्रों में किया जाता है जिससे सुरक्षित संचालन के लिए एक साथ कई डाटा प्रकारों को समझना और व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकियाँ सभी पूर्व-निर्धारित मापदंडों के एक सेट के भीतर काम करती हैं। छवि पहचान और निर्माण में प्रशिक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वायत्त आत्म-नियंत्रण, उचित आत्म-समझ और नए कौशल सीखने की क्षमता के साथ एआई सिस्टम विकसित करने का एक सैद्धांतिक प्रयास है।

आज एआई हर जगह मौजूद है जो हमारे पसंदीदा अनुप्रयोगों को सशक्त बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। जब भी हम अपनी पसंदीदा स्ट्रीमिंग सेवा में लॉग-इन करते हैं तो एआई काम पर होता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म हमारी देखने या सुनने की आदतों का विश्लेषण करने और हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप सामग्री की अनुशंसा करने के लिए एआई एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। एल्गोरिदम हमारे पिछले चयन, ट्रेंडिंग कंटेंट और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ समानता जैसे कारकों पर विचार करते हैं। ऑन-लाइन रिटेलर हमारे शॉपिंग अनुभव को निजीकृत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ब्राउज़िंग इतिहास, खरीदारी पैटर्न और विशिष्ट उत्पादों को देखने में हमारे द्वारा बिताए गए समय का विश्लेषण करके हमारी रुचियों से मेल खाने वाली वस्तुओं का सुझाव देता है; हम जो खोज रहे हैं उसे अधिक तेज़ी से पा सकते हैं और नए उत्पादों की खोज कर सकते हैं। एआई निदान, उपचार योजना और रोगी निगरानी में सहायता करके स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला रहा है। उदाहरण के लिए एआई-संचालित प्रणालियां कैंसर जैसी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने के लिए चिकित्सा छवियों का विश्लेषण करती हैं। एआई सिस्टम स्मार्ट वियरेबल्स, रोगी रिकॉर्ड और पारिवारिक इतिहास से डाटा को एकीकृत करते हैं ताकि डॉक्टरों को पुरानी बीमारियों के लिए उपचार योजनाओं को अनुकूलित करने में मदद मिल सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्वानुमान कंपनियों को उत्पाद की मांग का अनुमान लगाने में मदद करता है जिससे उन्हें इन्वेंट्री को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और कमी या अधिशेष से बचने में मदद मिलती है।

संगठन व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और नवाचार में तेजी लाने के लिए कृत्रिम मेधा क्षमताओं को एकीकृत कर सकता है। संगठन पिछले कुछ समय से डिजिटल प्रक्रियाओं को स्वचालित कर रहे हैं। हालांकि, कृत्रिम मेधा प्रक्रिया में गहराई और समस्या-समाधान क्षमता का एक नया स्तर पेश करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों द्वारा संचालित एक इनवॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम किसी भी इनवॉइस टेम्प्लेट से इनवॉइस डाटा को स्वचालित रूप से स्कैन और रिकॉर्ड कर सकता है। यह आपूर्तिकर्ता, भूगोल, विभाग और अन्य जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर इनवॉइस को वर्गीकृत भी कर सकता है। यह त्रुटियों की जांच भी कर सकता है और न्यूनतम निरीक्षण के साथ भुगतान संसाधित कर सकता है।

विभिन्न स्रोतों से जानकारी खोजने और समेकित करने में लगने वाला समय कर्मचारियों को उनकी प्राथमिक भूमिका से विचलित करता है। कृत्रिम मेधा द्वारा संचालित बुद्धिमान खोज और खोज कार्य किसी भी उद्योग में कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन रयानएयर ने कर्मचारियों की सहायता करने, उत्पादकता और संतुष्टि बढ़ाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया। कई उद्योग जटिल समस्याओं से जूझते हैं जिनमें लाखों पिछले लेन-देन का विश्लेषण करने और छिपे हुए पैटर्न की खोज करने की आवश्यकता होती है - उदाहरण के लिए धोखाधड़ी का पता लगाना, मशीनरी का रखरखाव और उत्पाद नवाचार। किसी विशेष यांत्रिक घटक की मरम्मत कब की जानी चाहिए, इसका उत्तर देने के लिए तापमान और गति जैसे मशीन डाटा का उपयोग रिपोर्ट और पिछले रखरखाव शेड्यूल के साथ विश्लेषण करना आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह

सारा डाटा ले सकता है, छिपे हुए कनेक्शनों की खोज कर सकता है और महत्वपूर्ण लागत बचत के लिए इष्टतम रख-रखाव शेड्यूल सुझा सकता है। इसी तरह, यह जीनोमिक शोध और दवा खोज जैसे अधिक जटिल क्षेत्रों का समर्थन कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ग्राहक प्रोफ़ाइल डाटा जैसे प्राथमिकताएं और डिजिटल व्यवहार को अन्य उत्पाद या सेवा डाटा के साथ जोड़कर वैयक्तिकृत रिपोर्ट, अनुशंसाएं और कार्य योजनाएं बना सकते हैं। ग्राहक, लाइव ग्राहक सहायता की प्रतीक्षा किए बिना प्रश्नों के वास्तविक समय के उत्तर पा सकते हैं या नए उत्पाद और सेवाएं खोज सकते हैं। लोनली प्लैनेट ने ग्राहकों के लिए क्यूरेटेड यात्रा कार्यक्रम बनाने के लिए कृत्रिम मेधा का उपयोग किया जबकि यात्रा कार्यक्रम बनाने की लागत में 80% की कटौती की।

नौकरियों के युग में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक नौकरी युग में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोज़गार को एक तरफ कम किया है तो दूसरी ओर नौकरियों के लिए एक नया आयाम भी प्रदान किया है। एआई और ऑटोमेशन ने नौकरियों को ऐसे रुख पर मोड़ दिया है जहां से रोज़गार का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। रोज़गार में बदलाव आ गया। फ़ोर्ब्स मैगज़ीन के लिए कराए गए एक सर्वे के अनुसार 63% उत्तरदाताओं ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनके संगठन में भर्ती के तरीके को बदल दिया है। अब उम्मीदवारों को नौकरी के तलाश के लिए द्वारपालों से नहीं उलझना पड़ता, बल्कि अब कृत्रिम मेधा की स्क्रीनिंग से गुज़रना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की मांग में बदलाव करके, कुछ नौकरियों को बदलकर और नई भूमिकाएं बनाकर नौकरियों को प्रभावित करता है। सामाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं को बेहतर बनाती है। निर्णय लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायता करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम इंटरनेट से इस प्रकार जुड़ गए है जैसे हम एक साइट पर कुछ ढूंढते है तो उसी के और उदाहरण हमें और दूसरी साइट पर बिना कुछ ढूंढे सुझाव (suggestion) में दिखने लगते है। आधुनिक युग में श्रमिकों को स्वचालित रोबोट, मशीनो को संचालित करने के लिए नए तरह के कौशल की आवश्यकता पड़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों और रोज़गार परिदृश्य को बदलना जारी रखता है इसीलिए व्यक्तियों को अपने करियर में प्रासांगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अनुकूलन करने की आवशयकता है। कुछ पंक्तियों का स्मरण करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दूरसंचार और तकनीक साधनों के साथ जोड़कर कहा जा सकता है –

यंत्र के साथ यंत्र हुआ आदमी,
एक उलझा हुआ सा तंत्र हुआ आदमी।

कार्य बल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बहुआयामी है। इसमें दोहराए जाने वाले और नियमित कार्यों का स्वचालन, कौशल आवश्यकताओं में बदलाव और नौकरी का विस्थापन शामिल है। यह कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह उन्हें अधिक जटिल और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है लेकिन यह नौकरी के विस्थापन और कुछ प्रकार की नौकरियों की मांग में बदलाव के बारे में चिंता भी पैदा कर सकता है। हालाँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है, खासकर डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में। इन संभावित लाभों के बावजूद कार्यबल में बड़े पैमाने पर एआई को लागू करने की कमियों के बारे में भी चिंताएं हैं। एक संभावित चिंता नौकरी का विस्थापन है जिससे बेरोज़गारी हो सकती है और फिर से कौशल और कौशल बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक और चिंता एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और भेदभाव की संभावना है जिसका हाशिए पर पड़े व्यक्तियों और समुदायों पर नकारात्मक असर हो सकता है। जैसे-जैसे एआई अधिक उन्नत होता जाता है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित रहे और एआई सिस्टम साइबर हमलों से सुरक्षित रहें। फिर भी, एआई दक्षता और उत्पादकता को भी बढ़ा सकता है और इसकी प्रगति से सही कौशल और ज्ञान वाले श्रमिकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। बेरोज़गारी दरों पर एआई का प्रभाव क्षेत्र और उद्योग के अनुसार अलग-अलग होगा है। विनिर्माण उद्योग में एआई के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नौकरी विस्थापन का अनुभव होने की संभावना है जबकि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा उद्योगों में महत्वपूर्ण नौकरी वृद्धि देखने की उम्मीद है। रोजगार पर इसके प्रभाव के अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की भी क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि कर सकता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, इस बात की चिंता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण धन का अंतर बढ़ सकता है क्योंकि आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस के साथ काम करने के लिए कौशल और ज्ञान रखने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक वेतन कमा सकते हैं जिनके पास ये कौशल नहीं हैं। प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है और इसके साथ ही हमारी नौकरी की भूमिकाएं भी।

स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम करने के तरीके को बदल रहे हैं और हम विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण प्रभाव देखना शुरू कर रहे हैं जबकि कुछ नौकरी की भूमिकाएं स्वचालित होने का जोखिम उठा रही हैं, वहीं अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को शामिल करने के लिए विकसित हो रही हैं। चूंकि एआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है इसलिए यह आवश्यक है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं कि एआई के लाभ श्रमिकों और समाज की आवश्यकताओं के साथ संतुलित हों। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम नौकरी के बाजार में होने वाले बदलावों के अनुकूल होने और डिजिटल युग में कामयाब होने के लिए नए कौशल हासिल करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ दुरुपयोग भी है जैसे समझ और कंट्रोल हाथ से जाने का डर। एआई का हथियार की शक्ल ले लेना, इंसानों के दिए काम को गलत समझना, अपने मन से टास्क पूरा करना, गलत हाथों में चले जाने का खतरा, न्यूक्लियर अटैक में इस्तेमाल का डर, नैतिकताओं को लेकर नासमझी। इसके अलावा, स्वचालन के कारण नौकरियों के संभावित नुकसान को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी रणनीतियां विकसित करनी चाहिए जो विस्थापन के जोखिम में रहने वाले श्रमिकों का समर्थन करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें नई नौकरी भूमिकाओं के अनुकूल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा तक पहुंच हो। चुनौतियों के बावजूद, नौकरी की भूमिकाओं में एआई के एकीकरण में नवाचार को बढ़ावा देने, दक्षता बढ़ाने और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है। एआई की पूरी क्षमता का लाभ उठाकर, हम नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। इस परिवर्तन को सक्रिय रूप से अपनाना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एआई के लाभ श्रमिकों और समाज की आवश्यकताओं के साथ संतुलित हैं। ऐसा करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां एआई और मानव श्रमिक साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकें।

अंत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में नौकरियों के महत्व का इस तरह से उपयोगिता बताई जा सकती है। सारे कार्यक्षेत्रों, विभागों, पेशों में इसका प्रभाव ऐसा है कि एक सोच, एक विचार तथा एक तकनीक पर सारे प्रकारों का विश्लेषण किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोगों को तकनीक से जोड़ दिया गया है। आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक गीत के उदाहरण से समझा जा सकता है जो एक बॉलीवुड के पंजाबी कलेवर में बनाया गया गीत काला चश्मा है। इसका संगीत एआई के इस्तेमाल से बनाया गया है। कुसुम लाखरा की कलम से कुछ पंक्तियां मानवता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महत्वपूर्ण बताते हुए प्रेषित है :

चाहे कितनी भी तकनीकी ज्ञान की हो बात,
रोबोट तो केवल मशीन है वो न जाने दिल के जज़्बात!
मनुष्य करुणा भाव से पावनता की ओर जाता है,
वह निःस्वार्थ परोपकारी भाव से अमरता पूत कहलाता है!
कोई भी कृत्रिम बुद्धि के दौर कितने आएंगे,
पर मानवता के आगे वह घुटने टिका न पाएंगे।

-अधिकारी
आंचलिक कार्यालय लखनऊ

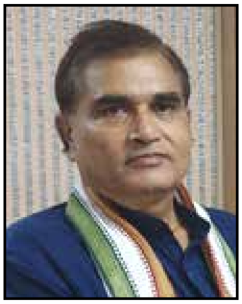

वीरेन्द्र कुमार यादव

राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी - भारतेन्दु हरिश्चंद्र

देश, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। भारत में शासन की भाषा अंग्रेजी स्वीकार की जा चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत में पद लोलुपता की भावना प्रबल थी। बड़े ओहदों के लिए लालायित भारतीय, अंग्रेजी और विदेशी सभ्यता अपनाकर खुद गौरवान्वित महसूस करने लगे थे। भारतीयों में जो खुद को सभ्य और सुशिक्षित समझते थे वे हिंदी को हेय दृष्टि से देखने लगे थे। अंग्रेजी के नीति से हमारे साहित्य पर बुरा असर पड़ रहा था। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ऐसे समय में जब हिंदी को एक दृढ़ आत्माविश्वसी कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी, जिसमें युग परिवर्तन की क्षमता, राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकता हो अथवा मात्र भाषा की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकता हो, ऐसे वातावरण में हरिश्चंद्र बाबू अवतरित हुए। इनका जन्म काशी नगरी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंश में 9 सितंबर, 1850 को हुआ। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था। ये भी ब्रज भाषा के संपन्न कवि थे। इनके घराने में वैभव और प्रतिष्ठा थी। जब इनकी उम्र 5 वर्ष की थी तो माता जी चल बसी और 10 वर्ष की आयु में पिता जी चल बसे। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। इनका निधन भी अल्पायु में ही 6 जनवरी 1885 को हो गया। घर के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव भारतेन्दु पर पड़ा, वे 5 वर्ष की अवस्था से ही दोहों की रचना करनी शुरू कर दी थी।

वे विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने सर्वप्रथम समाज और देश की दशा पर विचार किया और फिर अपनी लेखनी के माध्यम से विदेशी हुकूमत का पर्दाफाश किया। जहां भारत के गौरवशाली अतीत से उनका मन प्रफुल्लित था वही विदेशी दासता के कारण उनके कवि हृदय में टीस उठती रहती थी। वे विदेशी भाषा की अपेक्षा स्वदेशी भाषा के प्रबल पक्षधर थे। राजनीतिक दासता से तो हमने मुक्ति पा ली लेकिन भाषाई दासता से पूर्ण मुक्त होना अभी शेष है। राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करने वाले भारतेन्दु हरिश्चंद्र पहले व्यक्ति थे। भाषा, धर्म, राजनीति, अध्यात्म, राष्ट्रीयता तथा सभी क्षेत्रों में भारतेन्दु जी ने लिखा।

इन्होंने अपने परिस्थितियों से गंभीर प्रेरणा ली। इनके मित्र मंडली में बड़े-बड़े लेखक, कवि एवं विचारक थे जिनकी बातों से प्रभावित थे। इनके पास विपुल धनराशि थी जिसे इन्होंने साहित्यकारों की सहायता हेतु मुक्त हस्त से दान किया।

अपने जीवन काल में लेखन के अलावा और कोई कार्य नहीं किया। तभी तो 35 वर्ष की अल्पायु में 72 ग्रंथों की रचना करना संभव हो सकता था। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर 27 सितंबर, 1880 में 'सार सुधा निधि' नामक पत्रिका में एक प्रस्ताव प्रकाशित हुआ था कि बाबू हरिश्चन्द्र को 'भारतेन्दु' की उपाधि से विभूषित किया जाए। समस्त हिंदी संसार ने तब इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत किया था और बाबू हरिश्चंद्र सदा के लिए हिंदी भाषी जनता के 'भारतेन्दु' बन गए। इस उपाधि का मूल्य तब आज के नोबेल पुरस्कार से भी बढ़कर था। यह जनता की दी हुई उपाधि थी जो तब भी सरकार और उसके समर्थकों के लिए चुनौती के रूप में थी क्योंकि तभी सरकार ने राजा शिव प्रसाद को 'सितारे हिन्द' बनाया था। भारतेन्दु जनता के बनाए अपने भारतेन्दु थे।

यद्यपि भारतेन्दु जी विविध भाषाओं में रचना करते थे किंतु ब्रजभाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। इस भाषा में इन्होंने अद्‌भुत श्रृंगारिकता का परिचय दिया है। इनका साहित्य प्रेम मय था क्योंकि प्रेम को लेकर इन्होंने सप्त संग्रह प्रकाशित किए हैं। 'प्रेम माधुरी' इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है-

"मारग प्रेम की समुझै हरिश्चंद्र यथारथ होता यथा है।
लाभ कुछ न पुकारने में, बदनाम ही होने की सारी कथा है।
बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछता कौन बिथा है।"

'बादशाह दर्पण' इनका इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इनके नाटकों में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति-1873, भारत दुर्दशा-1875, सत्य हरिश्चंद्र-1876, नीलदेवी-1881, अंधेर नगरी-1881, कृष्ण चरित्र 1881 इत्यादि प्रमुख है।

उनमें अपने देश के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने सामाजिक समस्या उन्मूलन की बात की। अपने समकालीन शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध जनता को जगाने की परंपरा इस देश में बहुत पुरानी है। अतीत में अकबर के दरबारी कवि पृथ्वी राज तथा गोरा-बादल के रचनाकार, जयमल, सूदन, जोध-राज, चन्द्रशेखर एवं भूषण आदि ऐसे कई रचनाकार हो चुके हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा समकालीन शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध जनता को समय-समय पर जगाया था परंतु संपूर्ण भारतीय जनता को संगठित कर ऐसे आततायी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा का इनमें अभाव है तथा ऐसी प्रेरणा का अभ्युदय हिंदी में भारतेन्दु हरिश्चंद्र के लेखन से ही प्रारंभ होता है। भारतेन्दु एवं उनके सहयोगी रचनाकार राष्ट्रीय यथार्थ के प्रत्येक पहलू पर अपनी दृष्टि गड़ाये हुए थे तथा परिणाम पर पहुंच चुके थे कि जब तक भारतवासी अपने देश के गौरवमय अतीत को याद नहीं करेंगे तब तक उनमें से दुर्बलता एवं हीन भावना का निष्कासन संभव नहीं होगा। इसी मूल भावना को आधार भूमि में रखकर अत्यंत निश्छल उद्गार के साथ भाव प्रवण भारतेन्दु ने सरलतम शब्दों में भारत के महान स्वरूप की बड़ी मार्मिक मीमांसा प्रस्तुत की है।

विश्व में सब समय विद्या, कला-संस्कृति, शांति तथा धन-वैभव में समृद्ध एवं अग्रणी रहने वाला भारत आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था को पहुंच चुका है। भारतेन्दु को यह दशा बड़ा ही कष्टकर लगती है। "अब सबके पीछे-सोहू परत लरबाई! हा भारत दशा न देखी जाई।" जैसी पंक्तियां लिखकर अन्यत्र भी उन्होंने अपने अंतः स्थल के बड़वानल को उड़ेल कर रख दिया है। 'रिहा करता नहीं सैय्याद हमको मौसिमे गुल से कफस में, दम जो घबराता है सर दे-दे पटकते हैं' जैसे शेर लिखकर बंद पिंजड़े में कैद पक्षी की भाँति फड़फड़ा-फड़फड़ा कर रह जाने की विवशता उनके समक्ष है, क्योंकि उनके आंखों के सामने की सीधी सादी भारतीय जनता पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिन-रात जुल्म ढाये जा रहे हैं। वह निर्दोष है लेकिन उसमें उस पौरुष तथा नैतिक साहस का नितांत अभाव है जो किसी विवेकशून्य आततायी को अपनी बात मनवाने को बाध्य कर सके। जनता तो जनता है यहाँ के राजे-महाराजे तक असंगठित एवं अकर्मण्य बनकर विदेशी शासकों के चरण-रज अपने सिर पर धारण करने को बेचैन रहते हैं। अपनी हरिश्चंद्र चन्द्रिका पत्रिका मई-सितम्बर अंक 1875 में बड़े साफ शब्दों में भारतेन्दु ने भारतीय रियासतों की इस दुर्बलता की ओर संकेत किया है –

"राज-भेंट सबही करौ अहौ अमीर नवाब।
हाजिर हवै झुकि-झुकि करौ सवै सलाम-अदब।।

भारतेन्दु संकुचित दायरे के कायल न थे। उनके जेहन में यह बात बिल्कुल घर कर गई थी कि जनता के ऐक्य में इतना सामर्थ्य होता है जो बड़े-बड़े आततायी की कठोर से कठोर दंड शलाका को भी झुका दे। ऐसी ऐक्य तथा संघ शक्ति को ध्यान में रखकर उन्होंने हिंदू राष्ट्र को बड़ा ही व्यापक रूप प्रदान किया ताकि अनेकता में भी एकता लाकर अत्याचारी शासकों के विरुद्ध संघर्ष तेज किया जा सके।

उनका तो स्पष्ट उद्‌घोष था कि इस महामंत्र का जप करो। जो हिन्दुस्तान में रहे, चाहे वह किसी रंग या जाति का क्यों न हो, वह हिन्द है, हिन्द की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, बौद्ध तथा मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। देश के संबंध में इसी उदान्त भावना की अगली कड़ी के रूप में भगवान भक्त भारतीय मुसलमानों की एक लंबी नामावली बनाकर उत्तरार्द्ध भक्त माल में उन्होंने शामिल करा दिया जिसका सिद्धांत वाक्य था, "इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिन्द वारिये।" इस लेखन में यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर या खुदा न किसी जाति विशेष से संबद्ध होता है न हीं यह किसी भी पूजा अभीष्ट पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं होना चाहिए, विशेषकर उस स्थिति में जबकि संसार से विदा लेते समय यहां का सारा साज-सामान यही छूट जायेगा।

जुलाई, 1874 में अपने द्वारा प्रकाशित कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादकीय लेख में भारतेन्दु ने अत्यन्त पीड़ा पूर्वक लिखा था, 'बीस करोड़ भारतवासियों पर पचास हजार की संख्या वाले अंग्रेज शासन करते हैं।' यह स्थिति असह्य है। इन बीस करोड़ में हिन्दू-मुसलमान

दोनों हैं। दूसरे देशों के लोग क्या अंग्रेजों से लड़कर मुक्त नहीं हुए? वे अगर मुक्त हुए तो भारत के लोग मुक्त क्यों न हो? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेने की बात सर्वप्रथम उन्हीं की मस्तिष्क की उपज थी। इससे भारत भी स्वतंत्रता लाभ कर सकता है, यह उन्हीं का कथन था। स्मरण रहे कि जिन दिनों अंग्रेज शासक, भारतीय जनता को बार-बार एक स्वस्थ तथा न्यायपूर्ण शासन देने का दम्भ भर रहे थे, उन दिनों भी ये अस्त्र पूजक अंग्रेज शासकों के काले कारनामों का भंडाफोड़ कर रहे थे।

"तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली।
चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली।।"

उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ तक भारत में मुसलमान शासकों के समय से चली आ रही फारसी, सरकारी कार्यालयों एवं कचहरियों की भाषा थी जबकि भारतीय जन सामान्य की यह भाषा नहीं थी। इससे जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन्हें दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन् 1836 में एक कानून पास किया जिनके अनुसार सरकारी कार्यों के लिए हिंदी के शब्द प्रयुक्त होने थे, जिसकी लिपि अरबी-फारसी के ही रहे किंतु इस कानून से जनता का कोई हित न हुआ उल्टे देश में जहाँ-तहाँ आंदोलन शुरू हो गए तथा हिन्द और मुसलमान दोनों के बीच भेद-भाव बढ़ते चले गए।

भारतेन्दु एवं उनके मंडल के सहयोगी इस बात पर दृढ़ थे कि जब तक इस देश की एक अपनी भाषा नहीं होगी, विदेशियों से चलने वाला हमारा संघर्ष दमदार न होगा। अतः इन लोगों ने मिल-जुलकर जून, 1877 में भारतेन्दु हरिश्चंद्र के सभापतित्व में एक 'हिंदी वर्धिनी सभा' नाम की संस्था स्थापित की। इस अवसर पर भारतेन्दु ने हिंदी भाषा संबंधी एक बड़ा ही सारगर्भित व्याख्यान दिया जिसमें अंग्रेजी तथा संस्कृत से लेकर अरबी-फारसी आदि समस्त भाषाओं से हिंदी को सरल, सुबोध एवं सहज ग्राह्य बताकर हिंदी के पक्ष में वकालत की गई। इस व्याख्यान के अंतर्गत कुल 98 दोहे हैं और इसका 5 वां दोहा सार्वकालिक एवं सनातन हैं जिसे राजभाषा के संदर्भ में सर्वाधिक ख्याति मिल चुकी है।

"निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिन जिन भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल॥"

यह बात बेहिचक कही जा सकती है कि स्वदेशी भावना के सृजन से लेकर राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार की लंबी यात्रा की ओर भारतीय जनता को ले जाने का श्रेय सर्वप्रथम भारतेन्दु को ही है।

"परतंत्र भारत ने भारतेन्दु, प्रताप नारायण, प्रेमधन, महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, मैथिलीशरण तथा दिनकर सरीखे कई मूर्धन्य रचनाकार पैदा किए किंतु आज का स्वाधीन भारत उलूल-जलूल रचनाकार एवं उसी रंग में रंगे पाठक भी पैदा कर रहा है जबकि आज भी देश-दशा में बहुत सी वैसी ही बातें देखने को मिल रही है जो भारतेन्दु के समय थी।" वस्तुतः आज की स्थिति में राष्ट्र हितों से विमुख तथा अपने ही व्यक्तिगत स्वार्थों के पीछे पागल बनी हुई वर्तमान पीढ़ी के लिए भारतेन्दु जैसे राष्ट्रप्रेमी रचनाकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा एवं प्रोत्साहन लेने की आवश्यकता है।

इन्होंने अपने कार्यों से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सदा के लिए स्थाई रूप से स्थान बनाया है। अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण ही ये आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। भारतेन्दु का यश दिगन्त व्यापी था। अतः उसकी प्रगति को समेट पाना शब्द-सामर्थ्य के बाहर की बात है।

-सदस्य, विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति सह
हिंदी सलाहकार समिति, भारत सरकार

कार्टून कोना

प्रदीप कुमार रॉय
सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

राजभाषा पुरस्कार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं बीमा कंपनी), बरेली द्वारा 22 जनवरी, 2025 को आयोजित छमाही बैठक में बैंक के आंचलिक कार्यालय बरेली को वर्ष 2024 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उक्त पुरस्कार, नराकास अध्यक्ष के कर कमलों से मुख्य प्रबंधक श्री अमित मोहन अस्थाना ने प्राप्त किया।

बैंक की शाखा मनाली को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कुल्लू-मनाली से विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। 17 जनवरी, 2025 को आयोजित नराकास की छमाही बैठक में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री कुमार पाल शर्मा द्वारा शाखा के सहायक प्रभारी श्री नोरबू छेरिंग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा 05 मार्च, 2025 को बैंक के आंचलिक कार्यालय जयपुर का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण बैठक में आंचलिक कार्यालय जयपुर के राजभाषा कार्यान्वयन पर चर्चा की गई तथा माननीय सदस्यों की ओर से कार्यालय को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैंक की ओर से उक्त कार्यक्रम में आंचलिक प्रबंधक जयपुर श्री सुधीश वाजपेयी, प्रबंधक (राजभाषा) श्री सुशील कुमार, महाप्रबंधक श्री गोपाल कृष्ण और मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री निखिल शर्मा उपस्थित रहे।

समिति का गुलाबी नगरी जयपुर का दौरा

माननीय सदस्यों के कर कमलों से बैंक की हिंदी तिमाही पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' के दिसंबर, 2024 अंक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रतिनिधि श्री धर्मबीर, बैंक के महाप्रबंधक श्री गोपाल कृष्ण तथा मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री निखिल शर्मा भी उपस्थित रहे।

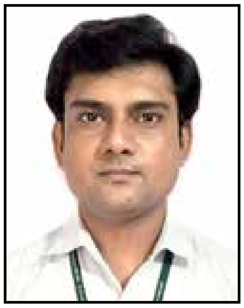

रूप कुमार

कार्यशील महिलाओं के समक्ष बढ़ती चुनौतियाँ

आज के समय में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, कला और व्यवसाय जैसे सभी क्षेत्रों में उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस प्रगति के बावजूद कामकाजी महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज, परिवार और कार्यस्थल पर महिलाओं को अक्सर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं।

कामकाजी महिला शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो वेतन वाले कार्य में लगी हैं। काम करने का अर्थ केवल स्वयं काम करना ही नहीं, दूसरे व्यक्तियों से काम लेना तथा दूसरों के कार्य की निगरानी करना व निर्देशन करना आदि भी इसमें शामिल हैं। आज जब भारतीय नारी के लिए कामकाजी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह मात्र स्कूलों, कॉलेजों अथवा कार्यालयों में सहज-सरल ढंग से कार्य करने वाली महिलाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि उद्योग-धंधों, कारखानों, व्यवसायों इत्यादि कार्यक्षेत्र तक विस्तृत हो गया है। वर्तमान में महिलाएं ऐसे कार्यों में प्रवेश कर रही हैं जिन पर सदियों से पुरुषों का एकाधिकार था। आज महिलाएं न्यायालयों में, अस्पतालों में, स्कूल-कॉलेजों में, उद्योगों में, प्रशासन में, राजनीतिक क्षेत्रों में, व्यवसायिक क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से दयनीय रही है। उनका हर स्तर पर शोषण और अपमान होता रहा है। देश में महिलाओं के हितों के लिए महिला आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय के लिए संघर्ष करती है। उनके कल्याण के लिए शासन और प्रशासन से संपर्क कर महिलाओं की समस्याओं का समाधान कराती हैं। महिलाओं को परिवार और

समाज में अपना सम्मान पाने के लिए आर्थिक रूप से निर्भर होने की सलाह दी जाती है। चूंकि प्राचीन काल से ही मजदूर वर्ग की महिलाएं अनेक प्रकार के काम-काज करती रही हैं, कुछ क्षेत्रों में जैसे घरों, सड़कों इत्यादि की साफ-सफाई, कपड़े धोना, नर्सिंग (दाई), सिलाई-बुनाई, खेती-बाड़ी संबंधी कार्य इत्यादि में तो इनका एकाधिकार रहा है। महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और शिक्षित होने के चलते मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं भी नौकरी, दुकानदारी अर्थात व्यापार, ब्यूटी पार्लर, डॉक्टर जैसे व्यवसायों में पुरुषों के समान कार्यों को अंजाम देने लगी हैं। डॉक्टर, वकील, आईटी, सीए, पुलिस जैसे क्षेत्रों में आज महिलाओं की बहुत मांग है परंतु हमारे समाज का ढांचा कुछ इस प्रकार का है कि

महिलाओं को कामकाजी होने के बाद भी नए प्रकार के संघर्ष से जूझना पड़ता है।

मातृत्व अवकाश और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे

महिलाओं के लिए नियोक्ता भी सहज नहीं दिखता क्योंकि हमारे देश के कानून में महिलाओं के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नियोक्ता पर होती है। वह उससे देर रात तक कार्य नहीं ले सकता, उसे सवेतन, मातृत्व अवकाश भी देना होता है। पुरुष कर्मियों के समान भारी कार्यों को उन्हें नहीं सौंप सकता। व्यावसायिक कार्यालय से बाहर के कार्यों को भी उनसे कराना उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जोखिम पूर्ण होता है।

कई कार्यस्थल महिलाओं के मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य लाभ और अन्य सुविधाओं को लेकर उपयुक्त नीतियों का पालन नहीं करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर विशेष सहूलतें और आराम की स्थिति की कमी होती है जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस प्रकार की नीतियों की कमी के कारण महिलाओं को अपने करियर में रुकावटों का सामना करना पड़ता है।

लिंग भेदभाव

कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती लिंग भेदभाव है। कई जगहों पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और सम्मान नहीं मिलता। उन्हें उनके काम की सराहना उतनी नहीं होती जितनी कि पुरुषों को मिलती है। कुछ कार्यस्थलों पर महिलाएं अपनी योग्यता के बावजूद पुरुषों की तुलना में कम वेतन प्राप्त करती हैं। यह भेदभाव उनके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को प्रभावित करता है।

सामाजिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य

समाज में महिलाओं से अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि वे एक आदर्श पत्नी, माँ और बहन के रूप में अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाएं। इसके साथ ही एक सफल करियर भी बनाएं। इस प्रकार की सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं पर भारी दबाव डालती हैं जिससे मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर इन दबावों का गहरा असर पड़ता है और महिलाओं को अपनी भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। गहरे मानसिक दबाव के कारण महिलाओं में आत्महत्या के विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। समाज की आलोचना और अस्वीकृति का डर महिलाओं को अकेला और भयभीत महसूस करवा सकता है।

कामकाजी महिलाओं को घरेलू एवं बाह्य दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है अर्थात् उन्हें अपने घर-परिवार, रिश्ते-नाते के साथ-साथ ऑफिस सभी को ठीक से चलाना पड़ता है और इन सभी में प्रमुख है दोनों के बीच संतुलन, क्योंकि किसी एक पक्ष को गलती से भी इग्नोर करने पर जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है। इस दोहरी भूमिका के कारण महिलाओं पर निरंतर मानसिक और शारीरिक दबाव बना रहता है। इस दबाव के कारण वे थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव का सामना कर सकती हैं। इसके अलावा अगर वे अपनी दोनों भूमिकाओं में संतुलन बनाने में असफल होती हैं तो उन्हें आत्म-आलोचना और दोषी महसूस होता है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आजादी के बाद नारी शिक्षा की स्थिति में सुधार होने के कारण उच्च मध्यम वर्गीय के साथ-साथ आम शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों की नारियां भी शिक्षित हुईं और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। कई महिलाओं ने उसमें सफलता भी प्राप्त की तथा कुछ को असफलता का सामना करना पड़ा।

काम और परिवार का संतुलन

पुरुषों ने महिलाओं के जीवन, उनकी योग्यता तथा उनकी कार्य शैली को निर्धारित करने की चेष्टा की, किंतु सत्य तो यही है कि महिलाएं भी पुरुषों की भांति अपनी अलग पहचान रखती हैं। एक काम-काजी महिला को अपने काम-काजी जीवन में दोहरी भूमिकाओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ आपने कार्यालय का कार्यभार तो दूसरी तरफ माँ के रूप में संतानों की देखभाल करना आदि होता

है। घर-परिवार में वह सभी रिश्तों को सफलतापूर्वक निभाती है। इस प्रकार एक काम-काजी महिला अपने कार्य के साथ-साथ घर और परिवार की भी देखभाल करती है। एक काम-काजी महिला को कामकाजी पुरुषों से दुगना काम करना पड़ता है। अपने बच्चे, पति, सास-ससुर इत्यादि सभी का भी ख्याल पूर्ववत् रखना पड़ता है। उन्हें अपने कामकाज के साथ घर की जिम्मेदारी भी यथावत निभानी पड़ती है। उसके लिए उन्हें सवेरे जल्दी उठ कर अपने परिवार अर्थात बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करनी होती है, बच्चों के सभी कार्यों को शीघ्र निबटाना पड़ता है, उसके पश्चात् संध्या समय लौटने के बाद गृह कार्यों में लगना होता है क्योंकि परिवार के पुरुष आज भी घर के कार्यों की जिम्मेदारी सिर्फ घर की महिला की ही मानते हैं। कुछ पुरुष तो थोड़ा भी सहयोग करने को तैयार नहीं होते, यदि महिला उन पर दबाव बनाती है तो अक्सर पुरुषों को कहते सुना जाता है कि अपनी नौकरी अथवा कामकाज छोड़ कर घर के कार्यों को ठीक से निभाओ, महिला की जिम्मेदारी घर सँभालने की होती है। मजबूरन महिला दो पाटन के बीच पिस कर रह जाती है। जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वे अवश्य घर के कार्यों को निबटाने के लिए, बच्चों के कार्यों में सहयोग के लिए आया तथा कुक की व्यवस्था कर लेती हैं, परंतु गरीब एवं अल्प मध्य वर्गीय परिवारों की महिलाओं के लिए आज भी यह सब कुछ संभव नहीं है।

सुरक्षा संबंधी समस्याएं

घर में सम्मान पाने, घरेलू हिंसा से बचने एवं परिजनों के अपमान से बचने के लिए जब एक महिला आत्मनिर्भर होने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे समाज और पुरुष सत्तात्मक सोच रखने वालों से सामना करना पड़ता है। अनेक लोगों की टीका-टिप्पणियों अर्थात तानाकशी, घूरती निगाहों से सामना करना पड़ता है। उद्दंड व्यक्तियों की छेड़खानियों से बचने के लिए उपक्रम करने होते हैं। कभी-कभी तो बलात्कार और प्रतिरोध स्वरूप हत्या का शिकार भी होना पड़ता है। जब वह अपने कार्यस्थल अर्थात ऑफिस, फैक्ट्री पर पहुँचती है तो उसे अपने सहयोगियों की दुर्भावनाओं का शिकार होना पड़ता है। संध्या समय अपने कार्यस्थल से लौटते समय भी उसे अनेक अनहोनी घटनाओं की आशंका से ग्रस्त रहना पड़ता है। उसके मन में व्याप्त असुरक्षा की भावना आज भी उसके लिए जीवन को कष्ट दायक बनाए हुए हैं। पुलिस से भी उसे कोई सकारात्मक पहल की उम्मीद नहीं होती। अनेक बार तो वह उनके दुर्व्यवहार का भी शिकार हो जाती हैं।

पुरुष प्रधान समाज की सोच में अभी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। यदि कोई महिला सरेआम किसी अत्याचार का शिकार होती है तो समाज के लोग उसका बचाव करने से भी डरते हैं। अतः उसे समाज और भीड़ से भी अपने पक्ष में माहौल मिलने की संभावना कम ही रहती है।

समाधान और सुझाव

इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब समाज और कार्यस्थल दोनों मिलकर काम करें। लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए आवश्यक है कि समान वेतन, अवसर और सम्मान प्रदान किया जाए। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा से बचने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय और उत्पीड़न विरोधी नीतियाँ लागू की जानी चाहिए। महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित वातावरण बनाना, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और परिवार व काम के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उपयुक्त नीतियां बनानी चाहिए। साथ ही, मातृत्व अवकाश, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और लचीले कार्य-समय जैसी नीतियों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। महिलाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने और आत्म-सम्मान बढ़ाने की दिशा में मदद की जानी चाहिए। समाज को महिलाओं के प्रति अपनी सोच और नजरिए में बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए।

कामकाजी महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और समाज को उनके संघर्षों और योगदान को समझना

चाहिए। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और नीति परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को उनके काम और परिवार दोनों में समान अवसर मिल सकें और वे अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकें।

निष्कर्ष

कामकाजी महिलाएं समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। वे न केवल परिवार के आर्थिक विकास में मदद करती हैं, बल्कि समाज की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हालांकि, महिलाओं को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन इन चुनौतियों का समाधान संभव है। जब समाज और कार्यस्थल एकजुट होकर महिलाओं के लिए समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेंगे, तब महिलाएं अपने लक्ष्यों को और अधिक आसानी से हासिल कर सकेंगी और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगी। कामकाजी महिलाओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें लेकिन इसके साथ ही समाज और कार्यस्थल को भी उन्हें सहायक और समर्थ बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। एक ऐसा समाज और कार्यस्थल ही महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता से काम करने और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का अवसर प्रदान कर सकता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कामकाजी महिलाओं को घर-बाहर दोनों जगह भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। फलस्वरूप उन पर कार्य का बोझ तो बढ़ता ही है, साथ ही कार्यस्थल पर एवं परिवार दोनों ही स्थान पर उनका कार्य प्रभावित भी होता है। दोहरी भूमिका इनके थकान का कारण भी है। अधिकांश महिलाओं के पास परिवार में मदद के लिए कोई सदस्य न होने के कारण उन्हें घरेलू नौकरानियों की आवश्यकता होती है। कार्यस्थल में यौन शोषण, लिंग विभेदीकरण एवं असुरक्षा जैसी समस्याओं से ये महिलाएं जूझती हैं। अधिकांश महिलाओं के नौकरी करने का कारण आर्थिक विवशता है किंतु अनेक महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता और अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी नौकरी करती हैं।

- राजभाषा अधिकारी
प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

नई शाखाएं

विदिशा, मध्यप्रदेश

उत्तरकाशी, उत्तराखंड

काव्य मंजूषा

हमारी बैंकिंग

बैंकिंग की क्या बात करूं मैं, बात कभी ये रुक ना पाए।
सदियों से चलती आई है, ज्योत कभी ये बुझ ना जाए।।

पैसों के इस लेन-देन से, भरोसे के इस सुख चैन से।
विश्वास कभी भी उठ न जाए, इकोनॉमि के चित्रसेन से।।

घर लेना हो या हो वाहन, जरूरत चाहे हो बुनियादी।
बच्चों की शिक्षा की चिंता, या करना हो जमा मियादी।।

वेतन हो या पेंशन लेना, या कारोबार की हो तैयारी।
बैंक खड़ी है सदा सेवा को, समझकर अपनी जिम्मेदारी।।

राजा हो या हो प्रजा महान, आवश्यक ये समान रूप से।
संचालित करती गति विकास की, अपने इस अविरल स्वरूप से।।

बैंकिंग की क्या बात करूं मैं, बात कभी ये रुक ना पाए।
लोगों से ही मिलकर बनती, सदा आगे बढ़ती ही जाए।।

-ऋचा जैन, अधिकारी
सरसवां शाखा, मध्यप्रदेश

पर्वत की कोमलता

असंख्य युगों से खड़े
पर्वत की कठोरता
सभी ने देखी
मैं देखना चाहता हूँ
उसके भीतर की कोमलता
जो करहाने पे नदियों
के रूप में बाहर आती है
तब मैं जान सका
कठोरता और कोमलता की बीच का अंतर
तुम भी मेरी कठोर देह में कोमल नदी की तरह रहती हो

पहुंचूंगा, एक दिन

धीमे-धीमे ही सही
मैं पहुंचूंगा तुम तक
एक दिन जैसे कोई नदी पहुँचती है
समंदर तक
जैसे कोई बूंद पहुंचती है
बादल तक
जैसे कोई सुगंध पहुंचती है
फूलों तक
उसी तरह
मैं भी पहुंचूंगा तुम तक एक दिन

-संजीव कनौजिया
अधिकारी
प्रधान कार्यालय ऋण निगरानी विभाग

गाँव छोड़कर शहर में रहने आया हूँ।

फिफ्टी मार रहा रोजाना सिगरेट की
लेकिन धूम्रपान से कोसो दूर हूँ मैं
साँसों में हर रोज़ जहर मैं भरता हूँ
सब कुछ जान समझकर भी मज़बूर हूँ मैं
साफ हवा और पानी मैंने त्याग दिया है
चंद सुनहरे सिक्कों में भरमाया हूँ
गाँव छोड़कर शहर में रहने आया हूँ।

गाँव में शीतल मंद हवा के झोंके हैं
शहर में प्रदूषण के रिकॉर्ड अनोखे हैं
गाँव मे जो भी पाया, सब कुछ खालिस है
शहर में हर एक चीज पे नकली पालिश है
गच्चा असली नकली में मैं खाया हूँ
गाँव छोड़कर शहर में रहने आया हूँ।

गाँव का कोना-कोना मुझसे वाक़िफ़ था
शहर में एक अनजान सा चेहरा अब हूँ मैं
गाँव में एक पहचान थी सबसे अलग मेरी
गिनती में बस एक कम ज्यादा अब हूँ मैं
सच्चे-सीधे रिश्ते नाते भूल चुका हूँ,
भौतिकता की अंधी दौड़ में पगलाया हूँ
गाँव छोड़कर शहर में रहने आया हूँ।

गाँव के भोले-भाले सारे यार हैं अपने
प्रेम और विश्वास का पावन नाता है
शहर में जो भी दोस्त मिले, सब मतलब से
यारी केवल उससे जो भी काम आता है
यारों की यारी की मैंने क़दर न की
देख मुखौटा नज़र से धोखा खाया हूँ
गाँव छोड़कर शहर में रहने आया हूँ।

गाँव के रिश्ते नातों में संस्कार की खुशबू पलती है
पश्चिम की अंधी दौड़ शहर में, संस्कृति वहाँ पे ढलती है
राग-रंग और हंसी-ख़ुशी का, गाँव में हर पल मेला है
शहरों की इस चकाचौंध में, हर इंसान अकेला है
ढूंढने निकला था खुशियों को, खुद को खोकर आया हूँ
गाँव छोड़कर शहर में रहने आया हूँ।

– सुदेश कुमार
ग्राहक सेवा प्रतिनिधि
आंचलिक कार्यालय दिल्ली-2

आंचलिक कार्यालयों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस -2025

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-1

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-2

आंचलिक कार्यालय जालंधर

आंचलिक कार्यालय गाँधीनगर

आंचलिक कार्यालय लुधियाना

आंचलिक कार्यालय अमृतसर

नई शाखाएं

बैंक के बढ़ते पदचिह्न

कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश

साणंद, गुजरात

मंडीदीप, भोपाल, मध्यप्रदेश

माधापर, गुजरात

खंडवा, मध्यप्रदेश

सुरेन्द्र नगर, गुजरात

मिनी

प्रदीप कुमार राय

अंदर साब के टेबल पर चपरासी एक पर्ची रख आया। किसी भी विज़िटर के आने पर अक्सर जैसे रखा करता है, ठीक उसी तरह। साब कमरे में नहीं थे, शायद वॉशरूम में थे। केबिन के सामने बाहर तिपाई पर आकर बैठ गया। अमूमन वहाँ बैठा-बैठा ऊंघता रहता है, पर उसके कान हमेशा घंटी पर रहा करते। घंटी बजी कि नहीं, साब की खिदमत में हाजिर। चाय पिलाने का समय तो निश्चित था, अनुशासन में किसी प्रकार की कोताही साब को मंजूर नहीं थी। रही बात दिन भर के उसके कामों की, तो वह था फ़ाइलें लाना-ले जाना, अन्य विभागों में चिट्ठी पहुंचाना...या कोई मिलने आया हो तो उसकी पर्ची अंदर देकर उसे साब से मिलवाना।

"इतने दिनों बाद मेरी याद आई तुझे, मिनी ? पूरे पाँच साल हो गए!" पर्ची को देखते ही करीब आकर मेरे हाथों को अभिमानवश थाम कर वह कहेगा। फिर बड़ी आत्मीयता से वह पूछेगा, "कैसी हो? आखिर तुम आ ही गई न! मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया...।" नहीं-नहीं, वह मेरा इंतजार क्यों करेगा, मैंने तो उसे मिलने से मना कर दिया था... यूँ ही सोचते हुए आगंतुक कक्ष में बैठी उस कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरों को मृणालिनी बारी-बारी से निहार रही थी। "पर्ची को देखकर क्या सचमुच मुझे वह पहचान पाएगा? क्या मेरा नाम उसे याद भी होगा?" इन्हीं बातों की उधेड़बुन में मृणालिनी को एक वाकया याद आया।

"मृणालिनी – इतना लंबा नाम, मुझे याद नहीं रहेगा।" पहले परिचय में कोई ऐसा कहता है क्या? लेकिन स्थिति को भांपते हुए वह कुछ असहज हो गया था, तुरंत ही उसने माफी मांगने के लहजे से कहा था, "सॉरी-सॉरी ! मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।" मैं भौचक उसे देखती रह गई थी। मुझे क्या फर्क पड़ता था। नाम याद रखने या न रखने की समस्या उसकी थी।

तो क्या सचमुच उसे मेरा नाम याद नहीं रहा। नहीं तो, अब तक तो वह मुझे बुला चुका होता। नहीं, प्रशासनिक सेवा में कितना न वह व्यस्त रहता होगा! और अब तो उसका अपना संसार होगा, बीवी और बच्चे होंगे! उनका भी ख्याल रखना पड़ता होगा...। ऐसा सोचते हुए उसने दीवार घड़ी पर नजर डाली। साढ़े बारह बजने को थे। तो क्या घंटे भर से मैं यहाँ बैठी हूँ!

इसी बीच चपरासी कब पानी दे गया था, मृणालिनी को इसका ध्यान ही नहीं रहा। चपरासी चाय रख गया। मृणालिनी ने पूछना चाहा, पर तब तक वह कमरे से बाहर चला गया था। क्या चाय उसने भिजवाई है? वह यह भी भूल चुका है कि मैं चाय नहीं पीती! शायद सभी आगंतुकों को शिष्टाचार के तौर पर दिया जाता होगा। यह सोचकर उसने अपने मन को तसल्ली दी।

क्या करे अब वह...., ट्रेन का समय हो चला था। स्टेशन जाने में भी तो समय लगेगा, कम से कम एक घंटा तो लग ही जाएगा। मेट्रो आने के बावजूद दिल्ली में ट्राफिक की समस्या कम हुई है, मैं नहीं समझती।

काश कुछ देर और मृदुल के दफ्तर में इंतजार कर लेती। क्यों चली आई मैं वहाँ से? काश यह मालूम कर लेती कि गाड़ी देर से चल रही है। वेटिंग रूम खचाखच भरा पड़ा था। चारों ओर लगेज के ढेर लगे थे। पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। लोग नीचे चादरें बिछा कर सोये पड़े थे। वेटिंग रूम के कोने में मैंने भी एक जगह ढूंढ निकाली। दुबक कर वहाँ बैठ गई। मेरी वह पर्ची मृदुल के टेबल पर अब तक कहीं दुबक कर पड़ी होगी। छोटी सी पर्ची, उस पर लिखा एक छोटा नाम... 'मिनी' ! भारी भरकम फ़ाइलों में कहीं वह पर्ची दब गई होगी। काश पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर ही डाल दिया होता... या तो पूरा नाम, 'मृणालिनी' ही लिख दिया होता !

पाँच साल पहले अपने संघर्ष के दिनों की बात आज भी उसे याद है। यूपीएससी की तैयारी के लिए मृदुल पहली बार दिल्ली आया था। लक्ष्मीनगर में एक पीजी ढूंढने के दौरान मृदुल की उससे मुलाकात हुई थी। मृणालिनी अपनी बीमार माँ के साथ वहाँ रहती थी। पिताजी के उस पुश्तैनी मकान में मृणालिनी के हिस्से में सिर्फ तीन ही कमरे आए थे। उन कमरों पर भी उसके चचेरे भाइयों की नजर थी। लंबी बीमारी से पिताजी चल बसे थे। उसी सदमे में माँ बीमार क्या पड़ी, बिस्तर ही पकड़ लिया। माँ के लिए दवा-दारू का खर्चा जुटा पाना मुश्किल हो गया था। मृणालिनी की पढ़ाई बीए तक सिमट कर रह गई। घर के खर्चे के लिए अपने हिस्से के एक कमरे को उसने 'पीजी' पर लगा दिया।

मृदुल और उसका साथी विवेक बतौर 'पीजी' वहाँ रहने लगे। घर का खर्चा निकल पड़ा। मृणालिनी खाना पकाती और अपनी बीमार माँ की देखभाल करती। समय निकालकर नौकरी के लिए पढ़ाई भी करती। नाश्ता, लंच और डिनर तीनों वक्त का खाना वह उनके दरवाजे के सामने ढककर रख देती और दस्तक देकर चली आती अपने कमरे में। एक दिन नाश्ता रखते समय दरवाजे पर मृदुल को मैंने पहले से ही खड़ा पाया। उसने फिर एक बार मेरा नाम पूछा। शायद मेलजोल बढ़ाने के बहाने लेकिन उसे तुरंत ही याद आ गया, "अरे हाँ, नाम तो तुमने बताया था पहले... वो क्या था, वो क्या था... हाँ, हाँ... मृणालिनी। मैंने कहा था न, इतना लंबा नाम मुझे याद नहीं रहेगा।"

"मिनी...!" बस, इसी नाम से तुम्हें बुलाऊँगा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी !" उसने दोहराते हुए कहा, "मैं तुम्हें 'मिनी' ही बुलाया करूंगा।" किसी अजनबी का इस तरह अपने करीब आने ने मुझे बेचैन कर दिया। सारे शरीर में मानो बिजली कौंध गई हो।

मृणालिनी से मिनी! एक छोटा सा रिश्ता पनपने लगा। एक आत्मीय रिश्ते में बंधने लगे थे। मेरी मजबूरियों को वह समझने लगा। मैंने उसके दायित्व का सम्मान किया। यूपीएससी उसका लक्ष्य था। पहले प्रयास में ही वह प्रीलिम्स उत्तीर्ण कर गया पर मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं मेरी सहायता में अपने लक्ष्य से वह विचलित तो नहीं हो रहा है। मैंने उसे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी। कभी कभार वह मेरे लिए बाजार से सामान वगैरह ला दिया करता था। पढ़ाई में मेरी सहायता कर दिया करता था। मेरे नाम से वह प्रतियोगी पत्रिकाओं में कुछ लिखकर मेरी मदद कर देता था। कुछ खर्चा निकल जाता था। मैंने ये सब बंद करवा दिया। नतीजा यह हुआ कि दूसरे ही प्रयास में वह प्रीलिम्स उत्तीर्ण हुआ, मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू भी। अपेक्षित रैंक हासिल न करने के कारण उसका चयन राजस्व सेवा के लिए हुआ। वह जाना नहीं चाहता था। मैंने उसे प्रशिक्षण के लिए फरीदाबाद जाने के लिए मजबूर किया। प्रशिक्षण के दौरान कई बार वीकेंड पर वह मुझसे मिलने दिल्ली चला आता था। मैं नाराज होती थी लेकिन मुझे भी उसका इंतजार रहता था।

ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग चेन्नई हो गई। वहाँ वह महीना भी टिक नहीं पाया। वापस दिल्ली आ गया था। कहने लगा कि वह चेन्नई में नहीं रह पाएगा। रोज-रोज इडली-दोसा और सांबर-चावल वह नहीं खा पाएगा। उसके हाथ की बनी कढ़ी-चावल और भरवां करेले अब और वह मिस करना नहीं चाहेगा। वह फिर से पढ़ाई करेगा, आईएएस बनेगा। उसने झूठ कहा था।

दरअसल वह मिनी से इतना घुलमिल चुका था कि उससे अलग नहीं रह पाया। विवेक ने मृणालिनी को यह बात बताई थी। उसे वापस भेजने के लिए मृणालिनी की हर तरकीब विफल रही। उसने एक न सुनी। उसे मनाने उसके माता-पिता पटना से आए थे। उसकी माँ अपने इकलौते बेटे के सामने खूब रोई थी। कहा, सिविल सेवा छोड़कर कोई और नौकरी कर ले। शादी कर अपना घर बसा ले। बेहद मजबूत उसके पिताजी भी मृणालिनी के सामने खूब रोए। मृणालिनी से उन लोगों का रोना-धोना देखा नहीं गया। उसने अपनी कसम दी कि सचमुच अगर वह उससे प्यार करता है तो पहले वह आईएएस बने। जब तक वह आईएएस नहीं बनता तब तक उसका मुँह नहीं देखेगा। हालांकि मृणालिनी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपना यह फैसला सुनाया था। कुछ दिनों तक वह सो नहीं पाई थी। उस दौरान जीवन की विषमताओं और प्रतिकूलताओं से उसने साक्षात्कार करना सीखा। इस काम में विवेक ने उसकी सहायता की थी। उसने मृदुल को भी बखूबी संभाला था। वक्त-बेवक्त मृदुल अपने कपड़े-लत्ते समेट कर पटना जाने के लिए निकल पड़ता था। कई बार विवेक उसे स्टेशन से वापस लाया था।

अगले ही साल अप्रैल में इंटरव्यू देकर अपने माता-पिता से मिलने पटना जाने से पहले मुझसे मिलने आया। यह बताना चाह रहा था कि वह पटना जाएगा अपने घर, रिजल्ट निकलने के बाद वह मिलने आएगा। वह पुकारता रह गया पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। मेरे

लिए परीक्षा की वह एक विषम घड़ी थी। काफी देर तक दरवाजे पर पुकारता रहा। मायूस होकर वह चला गया। विवेक उसे स्टेशन पर छोड़ने गया था। उसके चले जाने के बाद मैं खूब रोई थी। कुछेक दिनों बाद विवेक भी अपने घर चला गया। जाते समय वह कह गया, "इन दो सालों में तुमने हमारी बहुत सेवा की है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से बाहर था। तुम्हारी इस अवस्था में हम लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता !" कहते-कहते वह रूआँसा हो गया था।

दिसंबर में उनका रिजल्ट आ गया। मृदुल का रैंक 40वाँ था। विवेक का रोल नंबर उसे पता नहीं था। मृणालिनी ने नेट पर रिजल्ट देखा था। उसे बेहद खुशी हुई थी। पर वह लाचार थी, अपनी खुशी का इजहार वह किससे करती। उसने किसी का मोबाइल नंबर भी तो नहीं रखा था। उसे क्या पता था कि इतनी जल्दी सब कुछ ऐसे बदल जाएगा।

तीस हजारी कोर्ट परिसर में मृणालिनी अपने वकील का इंतजार करते हुए चहलकदमी कर रही थी। उसके करीब से एक गाड़ी आगे निकल गई, फिर पीछे आई। सरकारी गाड़ी थी।

"मृणालिनी !"

उसने मुड़ कर देखा, गाड़ी की पिछली खिड़की खोल कर किसी ने पुकारा था। मृणालिनी ने पहचान लिया, वह विवेक था। सूट-बूट और टाई के लिबास में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाँच साल पहले लक्ष्मीनगर की तंग गली में वह किसी पीजी में रहता था। कोर्ट परिसर में गाड़ी से वह उतर गया और ड्राइवर को जाने के लिए कह दिया।

"विवेक, तुम यहाँ कैसे ?"

"वे सब बातें बाद में होंगी, पहले चलो मेरे साथ।"

धीरे-धीरे डग भरता हुआ वह चलने लगा, उसके साथ-साथ मैं। आते-जाते लोग रास्ते से हट जा रहे थे और नमस्कार कर रहे थे। साथ-साथ सभी मुझे भी नमस्कार कर रहे थे।

कोर्ट के कॉरिडोर से होते हुए वह एक केबिन में दाखिल हुआ। वर्दी पहने चपरासी ने दूर से ही उसे सलाम किया और दरवाजा खोल दिया। मुझे भी झुककर बड़े अदब से सलाम किया। उसने विवेक के हाथ से ब्रीफकेस ले लिया।

तब तक वह समझ चुकी थी कि विवेक इस कोर्ट में उच्च पदासीन अधिकारी है। उसे अचानक याद आया, उसके यहाँ पीजी में रहने के दौरान वह जूडिशल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा था। उसने और कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। दरवाजे पर लगी नेमप्लेट में लिखा था, "मोटे अक्षरों में 'विवेक भारद्वाज', उसके नीचे अपेक्षाकृत छोटे अक्षरों में 'एडिशनल जज' !"

"जब भी घर पर कढ़ी-चावल बनते, तुम्हारा जिक्र अवश्य ही होता। तुम्हारे नाम से सभी को ईर्ष्या होती, क्योंकि उनसे वैसा नहीं बन पाता। बेसन-प्याज के पकौड़ों वाले कढ़ी-चावल !" विवेक ने बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए चाय का कप मृणालिनी की ओर बढ़ाया। "सॉरी-सॉरी !" कहते हुए चाय का कप उसने वापस अपने हाथ में ले लिया और आवाज दी, "अरे जूस ले आओ।"

"तुम्हें याद है, मैं चाय नहीं पीती।" मृणालिनी कहना चाहती थी पर उसने मुस्करा कर विवेक से कहा, "सचमुच विवेक, तुम्हें आज इस लिबास में देख कर कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती!"

"इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है, मृणालिनी। हमारा कितना ख्याल रखती थी तुम ! हमें घर-सा माहौल दिया था तुमने। घर-परिवार की याद तक आने नहीं दी थी तुमने।"

"तुमलोगों ने भी कितनी सहायता की थी मेरी, नहीं तो क्या मैं अपनी बीमार माँ के साथ बच पाती !"

"अरे हाँ, माँ कैसी हैं ?"

"माँ तो तुम लोगों के जाने के थोड़े दिनों बाद ही चल बसी थी। तुम अप्रैल में गए, वह जून में चली गई।"

"फिर... ?"

"फिर क्या, तुम जानते ही हो मेरे चाचा-ताऊ के लड़कों की आँखें मेरी संपत्ति पर टिकी थी। बड़ा परेशान किया उन लोगों ने। घर छोड़ने पर मुझे मजबूर कर दिया।"

"अच्छा, तभी जब दिसंबर में रिजल्ट के बाद तुमसे मैं मिलने आया था, तुम्हारा मकान बंद पड़ा था।"

"नहीं-नहीं, मैं इतनी जल्दी कैसे छोड़ देती उन्हें। पुलिस में शिकायत कर दी। उनके नाम पर पुलिस केस है। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, आज केस की तारीख है।"

उसने उसकी फ़ाइल पर सरसरी निगाह डाली। केस नंबर का हवाला देते हुए फोन पर किसी से कुछ पूछा और फोन काट कर एक नंबर मिलाया। पूछा, "चोपड़ा जी, कैसे हैं?"... "मैं ठीक हूँ।"... "एक केस के बाबत कुछ जानकारी चाहिए थी... मृणालिनी के केस में क्या है?... मृणालिनी के पक्ष में है तो फिर देर क्यों हो रही है?... अच्छा, वो लोग अटेन्ड नहीं कर रहे हैं?... हाँ, ठीक है एक्स पार्टी फैसला दे दो...हाँ-हाँ, वे मेरी बहुत क्लोज़ हैं, मेरे पास बैठी हैं।...थैंक यू यार !"

"चलो, निश्चिंत हो जाओ अब। आज तुम्हारे पक्ष में फैसला आ जाएगा।" यह सुनने से पहले ही मृणालिनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। किन शब्दों से वह विवेक को धन्यवाद देती, वह सोच नहीं पा रही थी। दोनों हाथों को जोड़ कर उसने शून्य में भगवान का शुक्रिया अदा किया।

"मैं उस मकान को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, उसमें मेरे माता-पिता की यादें हैं।"

"... और हमारी यादें ?"

"हाँ, तुम्हारी भी यादें..., तुम न होते तो शायद... !"

बीच में ही उसने टोकते हुए कहा "... और, और...मृदुल की यादें?"

मानो अनजाने में उसकी दुखती रगों को उसने छेड़ दिया। उसकी छलछलाई आँखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। जाने कब से वे बाहर आने के लिए व्याकुल थे।

"सॉरी, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई।" कहते हुए पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने आँसू पोंछे। दो घूंट पानी पीकर अपने रुँधे हुए गले को साफ किया।

"नहीं, तुमने अच्छा किया जो ये आँसू बाहर आ गए। ये रह-रहकर मुझे याद दिलाते थे कि कितनी निर्दयता से उन दिनों मैं मृदुल के साथ पेश आई थी। मैं उसके प्रति कैसे इतना क्रूर हो गई..."

"अरे वह तो आज भी तुम्हें याद करता है। सिर्फ याद ही नहीं करता, उसकी सफलता का श्रेय तुम्हें देते हुए गर्व का अनुभव करता है। दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद वह तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर गया था। तुम्हारा घर बंद पड़ा था। तुम्हारे चचेरे भाइयों ने कुछ कहने से मना कर दिया। आस-पड़ोस का कोई भी कुछ नहीं बता पाया। मायूस हो कर उसने मुझे फोन किया था।"

"सच कहूँ विवेक, उसके माता-पिता के आँसू मुझसे देखे नहीं गए। उनका इकलौता बेटा उनसे दूर रहकर संघर्ष करते हुए भी सफल नहीं हो पा रहा था। उसमें कहीं न कहीं मैं अपने आपको दोषी पा रही थी। तभी मैंने यह निश्चय किया कि जब तक आईएएस बनने के सपने को वह साकार नहीं करता और अपने माँ-बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, मैं उससे बात नहीं करूंगी।"

"जाते समय वह तुमसे एक बार मिलना चाहता था। वह पूछना चाहता था कि सचमुच तुम उससे प्यार करती हो या नहीं। पर तुमने चुप्पी साध ली, दरवाजा नहीं खोला।"

"कैसे खोलती विवेक, मैंने जो उस पर इतना अत्याचार किया था। किस मुँह से उसका सामना करती। घुट-घुटकर रह गई मैं, दरवाजा खोलने का साहस नहीं बटोर पाई। मैंने उसे दुःख पँहुचाया।"

"दुखी मन से तब वह मेरे साथ स्टेशन गया था। गाड़ी छोड़ने से पहले जब मैंने उसे वह डिब्बा दिया जिसमें तुमने उसके लिए खाना पैक कर दिया था, आश्चर्य से बस मुझे वह ताकता ही रह गया। वहाँ से वापस आकर तब तुमसे मैं यह बताना भूल गया था, या शायद बताने की जरूरत नहीं समझी थी। शायद उसके प्रति तुम्हारे जज़्बातों को मैं समझ नहीं पाया था।"

"तुम उससे मिलना चाहोगी क्या ?"

"क्या...?"

"हाँ, उसे यहाँ बुलाऊँ ?"

"क्या वह यहीं है?"

"हाँ, इसी दिल्ली में ही है। तुम्हें वह बहुत याद करता है... !"

"लेकिन मुझे तो आज ही वापस जाना पड़ेगा।"

"वापस, कहाँ?"

"मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। मेरी पोस्टिंग भोपाल में है।"

"अरे मुबारक हो, यह जान कर मृदुल भी खुश हो जाएगा।"

उसकी आँखें चंचल हो गई लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, "मुझे वकील से भी तो मिलना है। समय कहाँ मिलेगा उससे मिलने का ?"

शेष अंश पृष्ठ संख्या - 40 पर

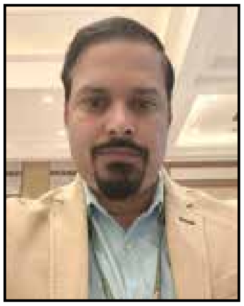

आदित्य कुमार

वर्तमान में राजभाषा हिंदी की प्रासंगिकता

हिंदी, भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है और इसे 60 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। यह दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है और यह संस्कृत से विकसित हुई है। वर्ष 1949 में इसे भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया, जिससे यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। हालाँकि, भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में हिंदी के बढ़ते प्रभाव को लेकर असहजता देखी गई है। इसके अलावा, शिक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव से हिंदी को चुनौतियाँ मिल रही हैं। सरकार ने "त्रिभाषा फार्मूला" लागू किया, जिससे हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं का संतुलन बना रहे, लेकिन इसकी स्वीकृति हर राज्य में भिन्न-भिन्न रही है।

19वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदी को एक मानक रूप देने और इसे उर्दू से अलग करने के प्रयास किए गए। हालांकि हिंदी और उर्दू की जड़ें समान हैं लेकिन उर्दू पर फारसी और अरबी का अधिक प्रभाव था। इस बदलाव की प्रक्रिया को "संस्कृतीकरण" कहा गया जिसमें हिंदी से फारसी और अरबी शब्दों को हटाकर उनकी जगह संस्कृत के शब्द शामिल किए गए। इस आंदोलन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे विद्वानों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदी को एक सशक्त भाषा बनाने और इसके साहित्य को विकसित करने में योगदान दिया इसलिए उन्हें "आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता" कहा जाता है। उनके प्रयासों से हिंदी को एक नई पहचान मिली और यह एक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में उभरी।

हिंदी, भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में देश के सांस्कृतिक और भाषाई परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी मुख्य रूप से भारत के दस राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। यह भाषा केवल एक रूप में सीमित नहीं है बल्कि इसमें 55 से अधिक अलग-अलग बोलियां शामिल हैं। इन बोलियों की विविधता हिंदी भाषी समुदाय के भीतर समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को दर्शाती है। अलग-अलग क्षेत्रों में हिंदी के अलग-अलग उच्चारण, शब्दावली और व्याकरणिक विशेषताएं पाई जाती हैं जो इसे और अधिक रंगीन और व्यापक बनाती हैं।

भाषाई लचीलापन और विकास

हिंदी की अनुकूलनशीलता इसके व्यापक उपयोग का एक महत्वपूर्ण कारण रही है। यह समय के साथ विकसित होती रही है और विभिन्न भाषाओं व संस्कृतियों के तत्वों को आत्मसात कर अपनी समृद्धि व विविधता को बढ़ाती रही है। अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल व्याकरण ने इसके प्रसार को सुगम बनाया है जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोग इसे आसानी से अपना सके हैं। इसकी समृद्ध शब्दावली और लचीलापन हिंदी को अनौपचारिक वार्तालाप से लेकर औपचारिक संचार तक हर संदर्भ में प्रासंगिक बनाते हैं। हालाँकि, हिंदी को कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं की बढ़ती लोकप्रियता के कारण कुछ स्थानों पर हिंदी के उपयोग में गिरावट आई है। प्रवासन प्रवृत्तियां भी इसे प्रभावित कर रही हैं क्योंकि हिंदी भाषी लोग बेहतर अवसरों की तलाश में अंग्रेजी प्रभावी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर गैर-हिंदी भाषी राज्यों में द्विभाषावाद बढ़ रहा है जिससे हिंदी दूसरी भाषा के रूप में तेजी से अपनाई जा रही है। हिंदी भाषा सीखने के लिए शैक्षिक ढांचा विकसित हो रहा है। स्कूल तेजी से हिंदी को दूसरी या तीसरी भाषा के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं जिससे छात्रों

को कम उम्र से ही इस भाषा में प्रवेश मिल रहा है। इसके अतिरिक्त दुनिया भर के विश्वविद्यालय अपने हिंदी भाषा कार्यक्रमों का विस्तार कर रहे हैं जो कई पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। ये विश्वविद्यालय अक्सर भारत में सांस्कृतिक अध्ययन और अध्ययन-विदेश के अवसरों को शामिल करते हैं।

शिक्षा पर जोर देने से हिंदी को अधिक सुलभ और परस्पर संबद्ध दुनिया में प्रासंगिक बनाने के व्यापक लक्ष्य का समर्थन किया जाता है। हिंदी का भविष्य आशाजनक प्रतीत होता है, यह विभिन्न कारकों से मजबूत होता है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थिति को बढ़ाते हैं। भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी पहले से ही आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा बोली जाती है। अनुमान है कि लगभग 800 मिलियन लोग भाषा में संवाद कर सकते हैं। यह व्यापक उपयोग हिंदी को भारत की सांस्कृतिक पहचान और संचार के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थान देता है।

हिंदी वैश्विक मंच पर तेजी से आकर्षण प्राप्त कर रही है जिसका प्रमाण भाषा सीखने वालों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हिंदी डुओलिंगो जैसे प्लेटफार्मों पर अध्ययन की जा रही शीर्ष 10 भाषाओं में से एक है। इसके अतिरिक्त, इसे दुनिया भर में "गूगल असिस्टेंट पर दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा" के रूप में जाना जाता है जो आधुनिक तकनीक और संचार में इसकी प्रासंगिकता को उजागर करता है। हिंदी शिक्षा की यह बढ़ती मांग विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में भाषा की व्यापक स्वीकृति और प्रशंसा की ओर एक बदलाव को रेखांकित करती है।

हिंदी के सामने चुनौतियां : व्यापक उपयोग के बावजूद हिंदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो पूरे भारत और विश्व स्तर पर इसके विकास और स्वीकृति को प्रभावित करते हैं। ये चुनौतियां मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाई विविधता, सामाजिक-राजनीतिक तनाव और अंग्रेजी के बढ़ते प्रभुत्व से उपजी हैं। इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है –

- **भाषाई दबाव और क्षेत्रीय विवाद -** गैर-हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में हिंदी के बढ़ते प्रभाव का विरोध हुआ है। कई क्षेत्रीय समुदाय इसे अपनी भाषाई पहचान के लिए खतरा मानते हैं जिससे सरकारी और शैक्षणिक क्षेत्रों में इसके अनिवार्य उपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं। भाषा संतुलन बनाए रखने के लिए तीन-भाषा सूत्र लागू किया गया लेकिन इसकी असंगत कार्यान्वयन नीति से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।

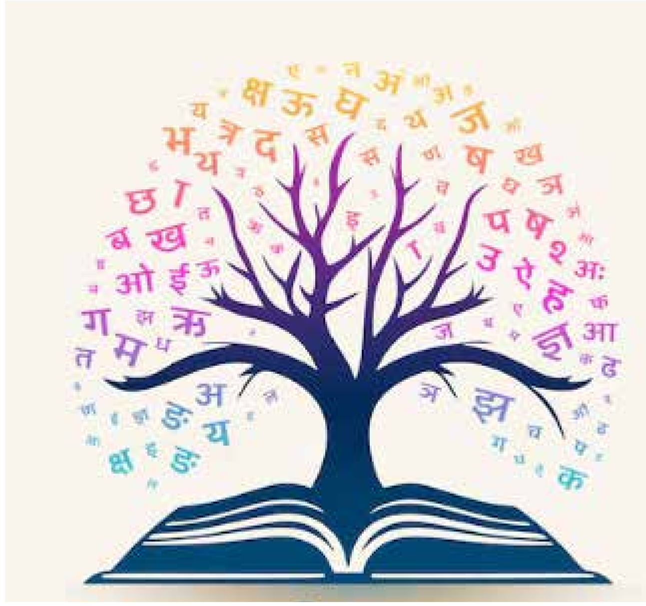

- **अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से प्रतिस्पर्धा –** वैश्वीकरण के साथ-साथ अंग्रेजी शिक्षा, व्यवसाय और प्रौद्योगिकी में पसंदीदा भाषा बन गई है। कई युवा भारतीय बेहतर करियर संभावनाओं के लिए हिंदी पर अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं जिससे शहरी क्षेत्रों में हिंदी की प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक राजनैतिक कारणों से हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं की प्रतिस्पर्धा स्थापित की जाती है जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का अपना-अपना अस्तित्व है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ही क्षेत्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी की विशाल शब्दावली में आपको अनेक क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों के शब्द जहां-तहां मिल जाएंगे।

- **डिजिटल और तकनीकी सीमाएं** - हिंदी ने डिजिटल स्पेस में प्रगति की है लेकिन सीमित हिंदी-अनुकूल सॉफ्टवेयर, की-बोर्ड और डिजिटल सामग्री जैसी तकनीकी बाधाएं इसके पूर्ण एकीकरण में बाधा डालती हैं। कई वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द अभी भी अंग्रेजी से उधार लिए गए हैं जिससे हिंदी को व्यावसायिक क्षेत्रों में प्राथमिक भाषा के रूप में स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

- **नीतिगत चुनौतियां** - भारत की भाषाई नीतियां अपने औपनिवेशिक अतीत में गहराई से निहित हैं जहां अंग्रेजी प्रशासनिक भाषा बन गई और क्षेत्रीय भाषाओं पर भारी पड़ी। आजादी के बाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय पहचानों का सम्मान करना चुनौती रही है। यद्यपि वर्ष 1968 में पेश किए गए तीन-भाषा फार्मूले का उद्देश्य हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को संतुलित करना था लेकिन इसके असमान कार्यान्वयन ने असमानताएं पैदा की हैं। हिंदी भाषी राज्यों में छात्रों को अक्सर दक्षिणी भाषाओं के संपर्क की कमी होती है जबकि गैर-हिंदी बोलने वालों को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में महारत हासिल करने में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

हिंदी का सांस्कृतिक संवर्धन : भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संगठन सक्रिय रूप से हिंदी को बढ़ावा देते हैं ताकि इसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित किया जा सके और घरेलू व विश्व स्तर पर अपने प्रभाव का विस्तार किया जा सके। ये प्रयास साहित्य, मीडिया, त्यौहारों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित हैं।

- **हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन** - हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की याद दिलाता है। इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में प्रतियोगिताएं, साहित्यिक कार्यक्रम और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। साथ ही हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करती है जिसमें दुनियाभर के विद्वान, लेखक और भाषाविद हिंदी के वैश्विक विस्तार और तकनीकी प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर आते हैं। यह सम्मेलन हिंदी भाषा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है।

- **मीडिया और मनोरंजन के माध्यम से प्रचार** - भारतीय फिल्म उद्योग खासकर बॉलीवुड, हिंदी के वैश्विक प्रचार में अहम भूमिका निभाता है। हिंदी फिल्मों, संगीत और टीवी धारावाहिकों की अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच बड़ी लोकप्रियता है जो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। साथ ही हिंदी साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो रहा है जिससे इसका व्यापक प्रसार सुनिश्चित हो रहा है।

- **हिंदी का वैश्विक प्रचार** - हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठों की स्थापना कर रही है जिससे लोग हिंदी सीखने में रुचि ले रहे हैं। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास जारी हैं जो इसकी वैश्विक प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। ये पहल हिंदी को सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और एकता का प्रतीक बना रही हैं जिसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है।

- **हिंदी का तकनीकी पक्ष :** प्रौद्योगिकी, भारत और विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार, संरक्षण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग के उदय ने आधुनिक संचार में हिंदी की पहुंच, उपयोगिता और प्रासंगिकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- **डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म –** ऑन-लाइन शिक्षा के आगमन ने हिंदी सीखने में क्रांति ला दी है। डुओलिंगो, रोसेटा स्टोन और बैबेल जैसे प्लेटफार्म ने हिंदी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जिससे यह दुनिया भर के शिक्षार्थियों के लिए अधिक सुलभ हो गया है। भारत सरकार की एक पहल लीला-राजभाषा जैसे मोबाइल एप्लिकेशन शुरुआती लोगों के लिए स्व-शिक्षण मॉड्यूल प्रदान करते हैं।

- **एआई आधारित अनुवाद और आवाज पहचान –** गूगल ट्रांसलेटर, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर और चैट-जीपीटी जैसे एआई संचालित उपकरणों में हिंदी के एकीकरण ने क्रॉस-लैंग्वेज संचार में सुधार किया है। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और सिरी जैसे उपकरणों में वॉयस रिकॉग्निशन तकनीक अब हिंदी का समर्थन करती है, देशी वक्ताओं के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाती है। इसके अलावा एआई-संचालित टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीकों ने हिंदी उपयोगकर्ताओं को डिजिटल वातावरण में निर्बाध रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाया है।

- **डिजिटल मीडिया और सामग्री निर्माण -** यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफार्म की बढ़ती लोकप्रियता ने हिंदी सामग्री की खपत को बढ़ाया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने हिंदी इंटरफेस पेश कर उपयोगकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाई है। साथ ही हिंदी समाचार वेबसाइटों, ब्लॉगों और ई-पुस्तकों के विस्तार ने इसकी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत किया है।

- **तकनीकी एकीकरण -** भारत सरकार ई-लर्निंग पोर्टल, डिजिटल शब्दकोश और एआई-संचालित अनुवाद जैसी तकनीकों हिंदी को बढ़ावा दे रही है। बहुभाषी एआई मॉडल हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच की खाई को कम कर रहे हैं। तकनीकी विकास हिंदी को डिजिटल स्पेस में मजबूत बनाकर शिक्षा, व्यापार और संचार में इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित कर रहा है।

भारत में हिंदी का भविष्य सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक निर्णयों, आर्थिक प्रासंगिकता और तकनीकी प्रगति के जटिल परस्पर प्रभाव से आकार लेगा जबकि हिंदी, भारत में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बनी हुई है। हिंदी के प्रक्षेप वक्र को कई कारक प्रभावित करते हैं। बॉलीवुड, डिजिटल मीडिया और साहित्य के माध्यम से सरकारी पहल और सांस्कृतिक प्रभुत्व हिंदी की स्थिति को मजबूत कर रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एआई-संचालित अनुवाद और सोशल मीडिया में हिंदी की बढ़ती उपस्थिति ने इसकी पहुंच का और विस्तार किया है।

प्रवासन और शहरीकरण ने भी विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रसार में योगदान दिया है। वैश्वीकृत रोजगार बाजार अभी भी अंग्रेजी दक्षता का पक्षधर है जो कुछ पेशेवर डोमेन में हिंदी की भूमिका को सीमित कर सकता है। हिंदी फलती-फूलती रहेगी लेकिन इसका प्रभुत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि यह क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी के साथ कैसे सह-अस्तित्व में है। एक बहुभाषी दृष्टिकोण जहां हिंदी, तकनीकी प्रगति और बदलती सामाजिक गतिशीलता के अनुकूल हो, इसके दीर्घकालिक प्रभाव को निर्धारित करेगा। हिंदी के निरंतर विकास की कुंजी इसकी समावेशिता में निहित है।

-मुख्य प्रबंधक
शाखा धनबाद, झारखंड

नारी

तुम्हें जन्म देने वाली, जीवन का आधार बनाने वाली
मां बनकर स्नेह की परिभाषा को पहचान दिलाने वाली
अपनी खुशियों को दाव पर लगाकर
तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बनाने वाली
होती है वो नारी

बचपन में जो बहन साथ खेली
रूठ गए जो तुम,
अपने हिस्से का खिलौना भी तुम्हें देने वाली
छोटी सी उम्र में भी समझदारी दिखाने वाली
होती है वो नारी

उम्र का नया पड़ाव शुरू होगा
हमसफ़र बनकर एक लड़की
जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएगी
अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ नया संसार बसाने वाली
होती है वो नारी

अब जरा आगे बढ़ते है
एक नन्हीं सी परी तुम्हारे जीवन में आएगी
पिता होने का हक़ जो तुम्हे दिलाएगी
उसकी पूरी दुनिया हो तुम
हर पल तुम्हें ये एहसास कराएगी

समय का चक्र यूं ही चलता जाएगा
जो आज तुम्हारी बेटी है
कल किसी की पत्नी तो किसी की मां कहलाएगी
उम्र का पड़ाव चाहे कोई भी हो
मां, बहन, पत्नी या हो बेटी
हर रिश्ते से वो तुम्हारे जीवन को महकाएगी।

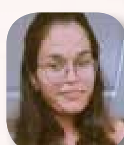

-महिमा चौबे
ग्राहक सेवा प्रतिनिधि
साणंद शाखा, गुजरात

पृष्ठ संख्या 35 का शेष अंश

"वकील की तुम फिक्र मत करो, वह काम तुम मुझ पर छोड़ दो।"
"गाड़ी भी तो पकड़नी है !"
"पहले तुम मृदुल से मिलो तो सही। गाड़ी की बात तो बस रहने ही दो।" विवेक ने ऐसा कहना चाहा पर कुछ सोच कर दूसरे वाक्य की जगह उसने कहा, "आगे वह संभाल लेगा।"
"तो फिर मुझे उसका पता दो, मैं उसे सप्राइज़ दूँगी।"
"मेरा ड्राइवर तुम्हें उसके पास छोड़ आएगा।" फिर अपनी डायरी खोल कर उसने उसका पता और मोबाइल नंबर लिखने को कहा।

ड्राइवर उसे छोड़ कर वापस आ गया लेकिन मृदुल का फोन नहीं आया। कहीं मृणालिनी ने अपना निर्णय बदल तो नहीं लिया। विवेक ने अपने ड्राइवर को बुलाया और सशंकित होकर पूछा। लेकिन ड्राइवर ने बताया कि वह मैडम को उनके दफ्तर में पहुंचा कर आया है। ड्राइवर ने यह भी बताया कि वह मृदुल से मिलवाने मृणालिनी को सीधे उसके केबिन के अंदर ले जाना चाहता था पर उसने मना कर दिया।

विवेक समझ गया कि मृणालिनी सप्राइज़ देना चाहती थी। अधिक देर तक उससे रहा नहीं गया। बार-बार उसकी उँगलियाँ फोन पर जाती और फिर कुछ सोच कर वह रुक जाता। विवेक का फोन आते ही झल्लाते हुए मृदुल ने चपरासी को बुला कर पूछा, "एक मैडम आई है यहाँ और तुमने मुझे बताया नहीं।"

"साब, पर्ची...।" टेबुल पर उंगली से पर्ची को दिखाते हुए डर-डर कर कहा। पर्ची देखकर जब मृदुल ने मिनी को आगंतुक कक्ष में नहीं पाया तब झल्लाते हुए चपरासी पर वह बरस पड़ा, "कहाँ गई मैडम?"

"साब, यहीं मैंने बिठाया था।" साथ में यह जोड़ते हुए कहा, "चाय भी दे आया था।" उसने समझा कि शायद उसकी आवभगत से साब शांत हो जाएंगे।

"तो कहाँ चली गई वह ?"
"साब, देर होने के कारण शायद चली गई होंगी...।"
बस फिर क्या था, प्रश्नों की झड़ी लग गई, "चली कैसे गईं, तुमने जाने कैसे दिया ?"

"... कहाँ थे तुम ? मुझे बताया क्यों नहीं ?"
"... यहाँ दफ्तर में आकर कोई चला जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता!"
"... यहाँ बाहर से आकर कोई कुछ ले जाएगा, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा।"
"... फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम ?"
"... तुम्हारी तिपाई हटा देता हूँ वहाँ से, दिन भर खड़े होकर ड्यूटी करना !"
"... यहाँ से तुम्हें ट्रान्सफर कर देता हूँ, जाओ दिन भर सोते रहना वहाँ।"

चपरासी सिर झुकाकर सुनता रहा, चुप रहा। उसे मालूम था कि साब जब गुस्से में होते हैं तभी ऐसा आचरण करते हैं, जो अधिक समय तक टिकता नहीं। फिर पीए को अपने केबिन में बुलाया और पर्ची को उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, "यह पर्ची तुमने अंदर भिजवाई है! क्या लिखा है पढ़ो तो, सिर्फ नाम? पता, फोन नंबर कुछ भी नहीं। बाकी कॉलम कौन लिखेगा ? तेरा...?" शायद कुछ अपशब्द कहने वाले थे पर अपने आप को संयत कर लिया।

"बेवकूफों की जमात!" जब गुस्से में होते हैं तो उनका आखिरी वाक्य यही होता है।

"और तुम भी मिनी, कुछ देर रुक नहीं सकती थी। अगर जल्दी थी तो चपरासी से कहती, वह मुझे याद दिला देता। किस बात का बदला लिया तुमने, मिनी !" मन ही मन उसने बड़बड़ाया।

उधर मोबाइल पर विवेक सब कुछ सुन रहा था। उसने मृदुल से कहा, "शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ।" ड्राइवर लंच कर रहा था। उसका इंतजार किए बगैर विवेक कार खुद ड्राइव करते हुए मृदुल के साथ स्टेशन पहुँच गया। भोपाल जाने वाली गाड़ी प्लेटफ़ॉर्म पर आ रही थी। मृदुल कार से उतर कर वेटिंग रूम की ओर भागा। कार पार्किंग कर विवेक ने देखा लोग भाग-भाग कर गाड़ी में चढ़ रहे थे। उन चेहरों में वह मृणालिनी को ढूँढते हुए वेटिंग रूम की ओर बढ़ा। वैटिंग रूम लगभग खाली था। इन सबसे बेखबर मृदुल और मृणालिनी वेटिंग रूम के एक कोने में आलिंगनबद्ध खड़े थे। विवेक की विह्वल आंखों में आंसू छलक आए।

-सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति का विचार-विमर्श कार्यक्रम

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति ने 14 फरवरी, 2025 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भिवानी तथा उसके कतिपय सदस्य कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया। इसके अंतर्गत बैंक की शाखा भिवानी, हरियाणा का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम में बैंक के प्रतिनिधि के रूप में शाखा प्रबंधक श्री दीपक कुमार, आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम में पदस्थ प्रबंधक श्री राजकुमार फोगाट, अधिकारी श्रीमती राधिका धवन तथा राजभाषा अधिकारी श्री अनिल शुक्ला उपस्थित रहे।

भारत की भाषायी विविधता में निहित एकता

डॉ. कौशलेन्द्र कुमार

भारत की भूमि अलग-अलग प्रकार के भाषाओं, जातियों, धर्मों तथा संस्कृतियों का संगम तीर्थ रहा है। जिस प्रकार तीन भिन्न दिशाओं से प्रवाहित होकर गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं मिलकर एक वृहत गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं उसी प्रकार अनेक छोटी- बड़ी संस्कृतियां मिलकर भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। संस्कृति की सबसे मुखर पहचान भाषा होती है। हम मनुष्यों ने अपनी प्रतिभा और लगन से तकनीक, कला, वाणिज्य आदि जैसे सभी क्षेत्रों में अनेक सफलताएं अर्जित की। इन तमाम सफलताओं की धुरी कोई है तो वह भाषा है। भाषा का निर्माण, मनुष्य की बुद्धि एवं लगन की महानतम उपलब्धि है। भाषा से बेहतर, अभिव्यक्ति का कोई अन्य साधन नहीं है इसलिए मानवीय संस्कृति व सभ्यता को सुदृढ़ व परिष्कृत करने में भाषा का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय है। भाषा के सहयोग से ही समुदाय और समुदाय से समाज का निर्माण हुआ। मानव इतिहास के विकास-चरण में तदन्तर भाषा के आधार पर 'राष्ट्र' जैसी अवधारणा विकसित हुई जिसमें एक विशेष भू-भाग में रहने वाले लोगों की भाषा एक ही होती है। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के काल के प्रभावी होने के पश्चात भाषा का उपयोग एक संस्कृति और उस संस्कृति के क्षेत्र को श्रेष्ठ ठहराने में किया जाने लगा तथा इससे इतर भाषा व लोग को हीन समझा जाने लगा। अत: भाषा के कारण अमानवीय घटनाएं भी इतिहास में दर्ज होने लगी। ऐसा सभी सभ्यताओं में देखने को मिला है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ भाषा ने मनुष्य को सभ्य कर सभ्यता प्रदान की, समुदाय-समाज तथा राष्ट्र के रूप में संगठित किया वहीं आगे चलकर मानवों ने इसका अमानवीय कृत्यों में दुरूपयोग भी किया। भारत के संदर्भ में मानव व भाषा के अंतर्संबंधों को समझाना इसलिए आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ विद्यमान रही हैं। एक तरफ तो यहाँ सदियों से अनेक भाषाएं प्रचलित रही हैं परन्तु बावजूद इसके भारतवर्ष एक राष्ट्र के रूप में सफल हुआ है। विश्व के कई भागों में कई देशों की भाषाएं एक हैं परंतु वो देश अलग-अलग हैं और वहीं भारत में कई प्रांतों की भाषा अलग-अलग हैं परंतु वो सभी एक राष्ट्र के अंतर्गत संगठित है। भारत की इस विलक्षण खूबी की तरफ अनायास ही ध्यान चला जाता है तथा एक मुकम्मल चिंतन की अभिलाषा भी होती है।

तमाम तरह की भाषायी भिन्नता एवं अंतर्विरोध के बावजूद किस तरह के समाज शास्त्रीय, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण इसके पार्श्व में सक्रिय हैं जिनसे भारत की एकता इसकी विविधता में निहित हैं? क्या इसके सूत्र हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक दस्तावेजों में प्राप्त हो सकते हैं? क्या राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जिन तत्वों में भाषायी व क्षेत्रीय दीवारों को धराशायी कर पूरे भारतीय समाज को एक समान उद्देश्य के लिए

उठ खड़ा कर दिया था वो भारत के एकीकरण में भाषाओं की भूमिका पर कुछ आवश्यक प्रकाश डाल सकते हैं। अति प्राचीन देवभाषा संस्कृत के अनेक शब्द भारत की सभी भाषाओं में पाए जाते हैं। इस कारण ऐसी दो भाषाएं, जहाँ ये प्रमुखता से बोली जाती है, जिनके बीच हजारो किलोमीटर का फासला है फिर भी काफी हद तक दोनों प्रांतों के लोग एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं। अतः भारत के एकीकरण में इस प्रकार भाषा-संस्कृति की दृष्टि से कुछ विचार किया जा सकता है। कई चिंतकों खासकर पश्चिम के चिंतकों ने बारंबार यह दिखलाने का प्रयास किया है कि अंग्रेजों के भारत पर शासन करने से पूर्व भारत एक राष्ट्र के रूप में कभी नहीं रहा। वे मानते हैं कि क्योंकि राष्ट्र की अवधारणा एक आधुनिक अवधारणा है और भारत में आधुनिकता का अरुणोदय अंग्रेजो के द्वारा ही संभव हो पाया इसलिए भारत को एक देश बनाने का श्रेय अंग्रेजो को मिलना चाहिए। यह एक आम धारणा सी बन भी गई थी परंतु कई विद्वानों ने खासकर डॉ. रामविलास शर्मा और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने तर्को व तथ्यों के साथ इस मान्यता को खंडित किया और समग्र भारत के सांस्कृतिक एकता की प्राचीनता को स्थापित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी हिंद स्वराज में इस विषय पर अपनी राय रखी है और कहा है कि भारत पुरातन काल से ही एक राष्ट्र रहा है। अतः इन चिंतकों ने भारत के इतिहास को, भारत की एकता और अखंडता को सिर्फ राजनैतिक घटनाक्रम के चश्में से नहीं देखा बल्कि जनता की चितवृत्ति को परख कर देखा।

भारत जब आजाद हुआ तब यह भ्रम बड़े जोर-शोर से फैलाया जा रहा था कि इतनी विविधताओं और इस कदर की भिन्नताओं के साथ भारत एक राष्ट्र के रूप में जल्द ही असफल हो जाएगा, खंडित हो जाएगा परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत और भी संगठित और सुदृढ़ होता चला गया। यह पर्याप्त विवेचना का विषय है कि नए-नए बने एक राष्ट्र की जनता को विरासत में ऐसा क्या प्राप्त हुआ था कि तमाम तरह की भिन्नताओं के मध्य उनमें एक अदृश्य एकता विद्यमान थी। भारत के भीतर इतनी भाषयी विविधता है और हर भाषा का अपना साहित्यिक संसार है। इन साहित्यिक संसारों में संस्कृति भी अपनी विविधता के साथ मौजूद है। आजादी के पश्चात जब विधिवत रूप से घोषित हुआ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अरुणाचल से गुजरात तक की भूमि 'भारत' है तब अंतरराष्ट्रीय रूप से भी इस समग्र क्षेत्र को भारतवर्ष के रूप में मान्यता मिली।

भाषा का निर्माण बोलियों से होता है। भौगोलिक दृष्टि से दिखे तो भाषा की तुलना में बोलियों का क्षेत्र, लघु होता है परंतु बोलियाँ, भाषा से प्राचीन होती है। अत: यहाँ दो बातें देखने को मिलती हैं - प्रथम यह कि भाषा अपने आप में भिन्न बोलियों को समाए रहती है इसलिए इसकी चेतना विराट एवं एकात्मक होती है। दूसरी यह कि लोक बोली संस्कृति का विकास, भाषा की परिनिष्ठित संस्कृति में होता है। भारत में अनेक बोलियाँ सदियों से बोली जाती रही हैं और आज भी बोली जाती हैं। पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत की बोलियों का विकास हिंदी भाषा के रूप में होता और इन तमाम बोलियों को बोलने वाले लोग एक समुदाय के रूप में संगठित होते चले जाते हैं जिन्हें प्रसिद्ध आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा 'हिंदी जाति' की संज्ञा देते हैं। यह सत्य है कि भाषा अपने में अंतर्निहित बोलियों को बोलने वाले लोगों के मध्य एक समुदाय की भावना को उन्मेषित करती है तथा सभी में एक सामाजिक अस्मिता का भाव भी पैदा करती है लेकिन यह अस्मिता मूलक चेतना कभी-कभी राह से भटक भी जाती है। एक भाषा के अंतर्गत के लोग दूसरे भाषा के लोगों से विद्वेष रखने लगते हैं। कई प्रकार की स्थितियों के कारण यह विद्वेष बढ़ता चला

जाता है और इन लोगों के मध्य मतभेद हिंसा का रूप भी अख्तियार करने लगता है। भारत की राष्ट्रीय अखंडता के संदर्भ में इस विषय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

यह सत्य है कि भारत की भूमि में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कई भाषाएं तो ऐसी हैं जिनके मध्य कोई भाषाई समानता भी नहीं है लेकिन फिर भी इन भिन्न-भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों का स्तर एक ही है। उत्तर के मथुरा का दक्षिण के मदुरै और उत्तर के काशी का दक्षिण के कांची के मध्य जो समानताएं हैं जो भाषागत विभिन्नता से कहीं ज्यादा है। गोकुल के कृष्ण की उपासना में गुजराती में नरसीह मेहता की रचना करते हैं तो पूर्व में विद्यापति तथा चैतन्य महाप्रभु भी मैथिली तथा बांगला में वंदना करते हैं। इन भाषायी विविधता के मध्य जो भागवत एकता है, वह ही भारत की एकात्मक का सूत्र है। अखिल भारत के स्तर पर उभरा भक्ति आंदोलन जिसे अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक- सांस्कृतिक आंदोलन माना जाता है, भी दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व तक क्रियाशील था। कहा भी जाता है - 'भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद' अर्थात कबीर, तुलसी की वाणी जिससे आज भी भारतीय समाज अपनी राह को पाता है, दक्षिण के चिंतन से प्रभावित रही हैं।

आजादी मिलने के पश्चात नीति निर्धारकों ने भाषायी एकता और भाषायी विविधता के बारे में गंभीरता से विचार किया। आरंभ में देश के प्रांतों एवं राज्यों के निर्माण में भाषायी एकता को तरजीह न देकर प्रशासनिक आवश्यकता पर जोर दिया गया लेकिन धीरे-धीरे भाषा को अस्मिता के प्रश्न से जोड़ दिया गया एवं देश की राजनीति इसके इर्द-गिर्द घुमने लगी। तदंतर विवाद और आंदोलनों के कारण प्रांतों तथा राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाने लगा। आज देश में कई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही हुआ है परंतु यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि इन तमाम राज्यों की सीमाएं किसी अन्य राज्य के दूसरे भाषी लोगों को अपने यहां आने और बसने से मना नहीं कर सकते। यहां स्पष्ट है कि भाषायी विविधता, राष्ट्रीय अखंडता में कहीं भी बाधक नहीं हो सकता। पूरे देश में प्रत्येक प्रांत के लोग कहीं भी बिना किसी रोक-टोक के आ-जा सकते हैं, जीविका का साधन अपना सकते हैं, आवास बना सकते है और इसी से भाषायी विविधता में एकता का सूत्र निहित है। ऐसा विधान करना नितातं आवश्यक भी है। भारत राज्यों का संघ है, अतः केंद्रीय रूप से भारत की पूरी भूमि समस्त नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं समान अवसर उपलब्ध कराती है। भाषा के नजरिए से कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है।

अत: यह चिंतन का विषय है कि मूलत: एक ही भाव, संस्कार और विधान से अनुप्राणित हम समस्त भारतीय अपने एक होने के सत्य से क्यों अनभिज्ञ हो, आपस में वैमनस्य रखे हुए हैं? सच पूछा जाए तो हमें अपने सांस्कृतिक इतिहास की जड़ों के बारे में जानकारी ही नहीं है। यह सच है कि कोई भी कौम जब अपनी संस्कृति और इतिहास के ज्ञान से विमुख हो कर प्रगति करने का प्रयास करती है तो उसका विकास गुणात्मक नहीं होता। उसका विकास सर्वांगीण, समावेशी और स्थाई नहीं होता। आजादी के संग्राम के दौरान अलग-अलग भाषा के लोग एक साझा उद्देश्य के लिए आगे आएं। उनके उद्देश्यों की पूर्ति में भाषायी विविधता कहीं भी बाधक नहीं रही। ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिनकी भाषा अलग-अलग थी, आजादी के उद्देश्य से एक साथ आएं। पंजाब के लाला लाजपत राय को, बंगाल के सुभाषचंद्र बोस को, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक को पूरे देश में सुना जाना था। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की मातृभाषा गुजराती थी लेकिन दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक वो निर्विवाद रूप से सभी के नेता थे। हमें इतिहास से सीखना चाहिए कि भाषायी विविधता ने हमें हमेशा ही संवर्धित ही किया है लेकिन आज हम अवश्य कुछ भटक से गए हैं।

उन्माद और स्वार्थ के वशीभूत होकर अविवेकी हो गए हैं। हम सिर्फ अभी और इतिहास की कुछ नवीन घटनाओं को देखकर ही प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। जरूरत हैं हमें यह समझने की कि विविध भाषाओं और संस्कृतियों के बेहतर समन्वय से भारत प्राचीन काल से एक राष्ट्र रहा है। विविधता में बड़ा सौंदर्य होता है परंतु यह सौंदर्य बड़ा नाजुक है। इसके अपने खतरे भी हैं। भारत वर्ष खतरों से, चुनौतियों से न तो कभी डरा है और कभी झुका है। हम आगे भी न डरेंगे और न ही झुकेंगे। विविधता में एकता हमारा गौरव है, हमारी उपलब्धि है और हमें इसे सहेजना आता है।

-वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
आंचलिक कार्यालय फरीदकोट

गणतंत्र दिवस समारोह -2025

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने रोहिणी, नई दिल्ली स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्र में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। कार्यक्रम में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक श्री राजीवा तथा दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पदस्थ अन्य उच्चाधिकारीगण उपस्थित रहे। ध्वज फहराने के पश्चात श्री स्वरूप कुमार साहा ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
पी.एस.बी
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है
PSB UniC
You & I Connected
Mobile & Internet Banking Solution
8.10%* वार्षिक
ब्याज दर
बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ
पीएसबी
अपना घर
₹741/-
मासिक किस्त /लाख*
शून्य
विधिक और मूल्यांकन प्रभार*
शून्य
प्रसंस्करण प्रभार*
30 साल
भुगतान अवधि*
* नियम एवं शर्तें लागू
https://punjabandsindbank.co.in
e-mail: ho.customerexcellance@psb.co.in
1800 419 8300 (टोल फ्री)
हमारा अनुसरण करें @PSBIndOfficial